क्रम-संख्या 197(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार 25 नवम्बर, 2024

अग्रहायण 4, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–2

संख्या 2810/52-2-2024-07–(नियमावली)-2023
लखनऊ, दिनांक 25 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

सा०प०नि०–31

वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1995) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, और उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली, 1997 एवं उत्तर प्रदेश वक्फ अधिकरण नियमावली, 2017, का अधिक्रमण करके राज्यपाल, ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकृत या किये जाने हेतु लोपित किसी वाद के, सिवाय निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश वक्फ़ नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली, 2024 कही जायेगी;

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2– (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1995) से है;

(ख) ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति के लिये तथा उसकी ओर से उसके न्यायवादी के रूप में सम्यक रूप से निष्पादित मुख्तारनामा द्वारा अथवा कोई विधि व्यवसायी होने की स्थिति में कोई वकालतनामा निष्पादित करने के द्वारा कार्य करने के लिये सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से है;

(ग) "मत पेटी" में मतदाताओं द्वारा मत पत्र डालने के लिए प्रयुक्त कोई पेटी, बैग या अन्य आधान सम्मिलित हैं।

(घ) ''बोर्ड'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 13 की, उपधारा (1) या यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन स्थापित वक्फ बोर्ड से है और इसमें अधिनियम की धारा 106 के अधीन स्थापित एक सामान्य वक्फ बोर्ड सम्मिलित होगा।

(ङ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन निर्वाचित उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड या सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(च) ''गणना'' का तात्पर्य अभ्यर्थियों के पक्ष में अभिलिखित किये गये मतों की गणना में सम्मिलित समस्त संक्रियाओं से है;

(छ) ''निर्वाचन'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) (दो) (तीन) और (चार) के अधीन शिया वक्फ़ बोर्ड या सुन्नी वक्फ़ बोर्ड या दोनों में सदस्यों के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन से है;

(ज) शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड के किसी श्रेणी के सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में ''निर्वाचक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम यथास्थिति सम्बन्धित बोर्ड में उसी श्रेणी के निर्वाचक नामावली में विनिर्दिष्ट हो, जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे अनर्ह न कर दिया जाय;

(झ) ''निर्वाचन प्राधिकारी'' का तात्पर्य सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से है;

(ञ) ''निर्वाचक नामावली'' का तात्पर्य नियम 8 के अधीन अभिप्राप्त निर्वाचक सूची से है;

(ट) किसी वक्फ परिसर के संबंध में ''अतिक्रमण'' का तात्पर्य ऐसे अधिभोग के प्राधिकार के बिना वक्फ परिसर का किसी व्यक्ति द्वारा अधिभोग किये जाने से है और इसमें वक्फ परिसर के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अधिभोग को प्राधिकृत करने वाले पट्टा या अन्तरण के किसी भी कारण से समाप्त या अवसान हो जाने के पश्चात निरन्तर अधिभोग किया जाना सम्मिलित है;

(ठ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न किसी प्रपत्र से है;

(ड) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ढ़) ''विधि व्यवसायी'' का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) में उसके लिए समनुदेशित है;

(ण) ''प्रबन्ध समिति'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 18 के अधीन स्थापित बोर्ड की समितियों से है;

(त) ''परिसर'' का तात्पर्य किसी भूमि या किसी भवन या भवन के आंशिक भाग से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(एक) बाग, जलाशय, मैदान, यदि कोई हो, जो ऐसे भवन या भवन के आंशिक भाग से सम्बद्ध हो;

(दो) ऐसे भवन या भवन के आंशिक भाग से जुड़ी साज– सज्जा जो उसके अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक उपभोग के लिए हो; और

(तीन) दरगाह, मज़ार, कब्रिस्तान, खानकाह, पीरखाना, कर्बला, मक़बरा, मस्जिद, समाधि और इससे सम्बद्ध प्रांगण।

(थ) ''रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य अधिकरण के रजिस्ट्रार से है और इसमें सहायक रजिस्ट्रार या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसे रजिस्ट्रार, अधिकरण के अनुमोदन से रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कोई कृत्य प्रतिनिधानित करे ;

(द) ''रिटर्निंग अधिकारी'' का तात्पर्य शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड के निर्वाचन संचालन से सम्बंधित समस्त कार्य करने या समस्त कृत्य निष्पादित करने के लिये निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत या नियुक्त किसी अधिकारी से है, जिस निमित्त उसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किया गया हो;

(ध) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(न) ''तामीलकर्ता अधिकारी/विशेष संदेश वाहक'' का तात्पर्य सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट या सहायक सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ़ से है;

(प) ''शिया वक्फ़ बोर्ड'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड से है;

(फ) ''सुन्नी वक्फ़ बोर्ड'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड से है;

(ब) ''अधिकरण'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण से है;

(भ) ''वक्फ परिसर'' का तात्पर्य :–

(एक) जंगम या स्थावर सम्पत्ति का कोई परिसर, जिसे मौखिक या लिखित रूप में किसी लिखत के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा समर्पित किया गया हो और किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो जिसे मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(दो) गजट में वक्फ सम्पत्ति के रूप में अधिसूचित कोई परिसर; या

(तीन) सुन्नी वक्फ़ बोर्ड या शिया वक्फ़ बोर्ड द्वारा अनुरक्षित औकाफ रजिस्टर में वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत परिसर; या

(चार) उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ़ के रूप में मानी गई सम्पत्ति।

(म) ''वक्फ सम्पत्ति'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (द) में निर्दिष्ट किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से है और इसमें उसका परिसर भी सम्मिलित है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित समस्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

मुतवल्ली की अर्हतायें

3–(1) किसी वक्फ के मुतवल्ली की अर्हतायें वही होंगी जैसा कि वक्फ विलेख में वाकिफ द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) जहॉ वाकिफ द्वारा कोई अर्हतायें विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं वहां किसी मुतवल्ली को बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जायेगा :–

2–(क) वह 25 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर लिया हो और भारत का नागरिक हो।

(ख) वह हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान रखता हो;

(ग) वक्फ़ विधि का ज्ञान धारित करना होगा;

(घ) विकृत चित्त का नहीं होना चाहिए;

(ङ) नैतिक अधमता सहित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नही होना चाहिए; और

(च) अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए।

(3) किसी मुतवल्ली की नियुक्ति से पूर्व उसकी पात्रता का सत्यापन, सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/अपर सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ़/सहायक सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ द्वारा किया जायेगा और ऐसा करने में विफल रहने पर सम्बन्धित बोर्ड द्वारा मुतवल्ली की नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

ऐसे अन्य विवरण, जो सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट हो सकते हैं

4– अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (3) के अधीन सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट प्रपत्र–1 में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

सर्वेक्षण आयुक्त की जांच की अन्य शक्तियां

5—सर्वेक्षण आयुक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में यथा उल्लिखित अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अन्य विशिष्टियाँ, जो प्रकाशित औकाफ़ की सूची में अन्तर्विष्ट हों सकती हैं

6—अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित औकाफ की सूची **प्रपत्र–2** में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

निर्वाचन संचालन

7— (1) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड के सदस्यों की सामान्य रिक्तियों और आकस्मिक रिक्तियों से सम्बंधित निर्वाचन के पर्यवेक्षण, निर्देशन नियंत्रण और संचालन का उत्तरदायित्व, निर्वाचन प्राधिकारी का होगा।

(2) निर्वाचन प्राधिकारी, शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड के लिए पृथक–पृथक रिटर्निंग अधिकारी प्राधिकृत या नियुक्त करेगा जो यथासंभव राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी होगा।

(3) निर्वाचन प्राधिकारी, निर्वाचन के संचालन हेतु प्रत्येक बोर्ड के रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(4) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सम्बन्धित बोर्ड के रिटर्निंग अधिकारी, जिसके अधीन वह नियुक्त किया गया हो, के नियंत्रण के अध्यधीन रिटर्निंग अधिकारी के समस्त या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए सक्षम होगा।

(5) कोई सहायक रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन–पत्रों की संवीक्षा से सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के किसी कृत्य का निष्पादन तब तक नहीं करेगा जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी को उक्त कृत्यों का निष्पादन करने से अपरिहार्यतः रोक न दिया जाय और निर्वाचन प्राधिकारी ने उसे ऐसा करने की अनुज्ञा प्रदान की हो।

निर्वाचक नामावली

8—(1) शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड के निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों से अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) (दो) (तीन) और (चार) की श्रेणियों में मत देने के लिए पात्र यथास्थिति शिया मुस्लिम या सुन्नी मुस्लिम की सूची प्राप्त करेंगे और नियम 11 के अनुसार किन्हीं उपांतरणों के अध्यधीन ऐसे व्यक्तियों की सूची, उस श्रेणी के लिए निर्वाचकगण होगी और सम्बन्धित बोर्ड के व्यक्ति, जिनके नाम सूची में हों, सम्बन्धित बोर्ड के सदस्यों की उस श्रेणी के निर्वाचक होंगे।

(2) निर्वाचकगण की सूची, शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित से प्राप्त की जायेगी,—

(क) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) की श्रेणी के लिए महासचिव, लोक सभा/राज्य सभा ;

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) की श्रेणी के लिए सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा / राज्य विधान परिषद;

(ग) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) की श्रेणी के लिए सचिव, बार काउसिंल उत्तर प्रदेश;

(घ) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (चार) की श्रेणी के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यथास्थिति शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड;

(ङ) धारा 14 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (चार) में परिभाषित श्रेणी के अधीन सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये निर्वाचक नामावली का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ धारा 46 के अधीन प्रस्तुत किये गये लेखा विवरण में घोषित वार्षिक आय, ''वक्फ की वार्षिक आय'' मानी जायेगी।

मुतवल्लियों द्वारा निर्वाचन

9–नियम 8 के उपनियम (2) के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचक नामावली, जिसमें निर्वाचकगण होंगे, को तैयार करने के प्रयोजनार्थ यथास्थिति शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथास्थिति मुतवल्लियों या प्रबन्ध समिति को निर्वाचन के लिए दो सप्ताह का समय देगा;

(एक) ऐसे वक्फ़ संस्था के मामले में जहाँ एक से अधिक मुतवल्ली हों, वहाँ उनके मध्य से एक ऐसी वक्फ़ संस्था का प्रतिनिधि होगा; और

(दो) यदि वक्फ़ संस्था प्रबन्ध समिति द्वारा प्रशासित की जा रही हो तो ऐसी समिति का एक पदाधिकारी ऐसी वक्फ़ संस्था का प्रतिनिधि होगा।

परन्तु यह कि यदि वक्फ़ संस्था ऐसा निर्वाचन करने और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संसूचित करने में विफल रहती है तो ऐसी वक्फ़ संस्था के मामले मे जहाँ एक से अधिक मुतवल्ली हैं, ज्येष्ठ मुतवल्ली की और जहाँ वक्फ़ संस्था प्रबन्ध समिति द्वारा प्रशासित होती है वहॉ ऐसी समिति के अध्यक्ष को निर्वाचित कर लिया गया समझा जायेगा और निर्वाचकगण के गठन के प्रयोजनार्थ निर्वाचक नामावली में उसे सम्मिलित कर दिया जायेगाः

परन्तु यह भी कि केवल ऐसे मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति के प्रतिनिधि मत देने के लिये पात्र होंगे जो शिया/सुन्नी बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हैं और जिनकी वार्षिक आय उपरोक्त पूर्ववर्ती वर्ष में एक लाख रूपये या उससे अधिक हो और जिन्होंने अधिनियम की धारा 72 के अधीन शिया/सुन्नी बोर्ड के लिये संदेय वार्षिक अंशदान पूर्ववर्ती वर्ष तक का संदत्त कर दिया हो।

पूर्व मुस्लिम संसद सदस्यों; पूर्व मुस्लिम राज्य विधान मण्डल सदस्यों और पूर्व मुस्लिम बार काउन्सिल सदस्यों की निर्वाचक नामावली

10–(1) यदि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)के उपखण्ड(एक) से (तीन) में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी में कोई मुस्लिम सदस्य न हों तो यथास्थिति पूर्व मुस्लिम संसद सदस्यों, पूर्व मुस्लिम राज्य विधान मण्डल सदस्यों या पूर्व मुस्लिम राज्य बार काउन्सिल सदस्यों से निर्वाचकगण का गठन होगा और ऐसी प्रत्येक श्रेणी के लिये पृथक निर्वाचक नामावली अनुरक्षित की जायेगी।

10–(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों हेतु समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (एक) से उपखंड (तीन) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के लिए निर्वाचकगण का गठन करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं हों, वहां राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे, बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकती है।

सूचियों को प्रदर्शित किया जाना

11–नियम 8 एवं नियम 9 के अधीन प्राप्त सूचियों को नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन निर्वाचन के अधिसूचित दिनांक से अन्यून सात दिन पहले सम्बन्धित बोर्ड के रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पट्ट पर एवं शिया और सुन्नी बोर्ड के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

आपत्तियां दाखिल किया जाना

12–(1) नियम 11 के अधीन निर्वाचक सूची के ऐसे प्रकाशन से क्षुब्ध कोई व्यक्ति सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष, ऐसे प्रकाशन के तीन दिन के भीतर किसी नाम को जोड़ने, हटाने या उपान्तरित करने के लिए आपत्ति याचिका दाखिल कर सकता है।

(2) रिटर्निंग अधिकारी, आपत्ति याचिका को पढ़ने के पश्चात् और किसी स्रोत से कोई अग्रतर सूचना, जैसी वह उचित समझे, प्राप्त करने के पश्चात् और याची तथा सम्बन्धित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर, यदि वह आवश्यक समझता है, देने के पश्चात, आपत्ति याचिका पर आदेश पारित करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन पारित आदेश के आलोक में यदि निर्वाचक नामावली में कोई उपांतरण किया जाना अपेक्षित हो तो रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे उपांतरण को सम्मिलित करने के पश्चात् नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन अधिसूचित निर्वाचन के दिनांक से अन्यून दो दिन पूर्व, अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित करेगा और नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन अधिसूचित निर्वाचन के लिए ऐसी निर्वाचक नामावली, निर्वाचकों की अंतिम और निश्चायक सूची होगी।

आशयित निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना

13– (1) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उपखण्ड (एक) से (चार) तक की श्रेणियों में प्रत्येक में दो सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए और शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड की अवधि समाप्त होने पर या अधिनियम की धारा 99 के अधीन उनके अधिक्रमण या विघटन पर या यथास्थिति धारा 16 या धारा 64 के अधीन किसी विशिष्ट श्रेणी में हुयी किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराया जायेगा।

(2) नियम 13 के उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, गजट में प्रकाशित प्रपत्र–3 में पृथक–पृथक अधिसूचनाओं के माध्यम से ऐसे निर्देशों, जैसा कि इस निमित्त सरकार द्वारा जारी किये जाये, के अध्यधीन अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली के उपबंधों के अनुसार शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड के सदस्यों को, ऐसे दिनांक या दिनांकों को जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा।

(3) उक्त अधिसूचना में शिया और सुन्नी बोर्ड के लिए नामांकन करने का अंतिम दिनांक, नामांकन संवीक्षा का दिनांक अभ्यर्थन वापसी का अंतिम दिनांक और मतदान यदि, आवश्यक हो, आयोजित किये जाने का/के दिनांक विनिर्दिष्ट होगा/होंगे।

(4) अधिसूचना जारी होने पर संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी, हिन्दी और उर्दू भाषाओं में प्रपत्र–4 में आशयित निर्वाचनों से सम्बंधित सार्वजनिक सूचना देगा जिसे ऐसी रीति में प्रकाशित किया जायेगा जैसा रिटर्निंग अधिकारी, उचित समझे।

विशेष निर्वाचन कार्यक्रम

14– इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ शिया/सुन्नी बोर्ड की निर्वाचन प्रकिया बाधित होती हो या किसी न्यायालय के आदेश के कारण या लिखित रूप में अभिलिखित अन्य विधिमान्य कारणों से निर्वाचन कार्यक्रम को परिवर्तित करना पड़ता है वहाँ निर्वाचन प्राधिकारी या तो सामान्य रूप में या विनिर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा और नियम 13 के उपनियम (2) में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर ध्यान दिये बिना निर्वाचन कार्यक्रम को, मामले की परिस्थिति में जैसा वह उचित समझे, पुनः अधिसूचित करेगा और रिटर्निंग अधिकारी इसे कार्यान्वित करेगाः

परन्तु यह कि जहाँ इस नियम के अधीन नामांकन किये जाने से प्रारम्भ होने वाला निर्वाचन कार्यक्रम पुनः अधिसूचित किया जाता है वहाँ पूर्व में किये गये नामांकनों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

अभ्यर्थियों का नामांकन

15– (1) किसी व्यक्ति को यथास्थिति शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड के सदस्य के पद को भरने हेतु किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है, यदि वह अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली के उपबंधों के अधीन स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्ह हो। प्रत्येक नामांकन–पत्र प्रपत्र 5 में होगा। अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियत दिनांक को या उसके पूर्व विनिर्दिष्ट समयावधि के मध्य विनिर्दिष्ट स्थान पर सम्बंधित बोर्ड के रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, और अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और यदि नामांकन, प्रस्तावक द्वारा दाखिल किया जाता है तो अभ्यर्थी और प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। अभ्यर्थी नामांकन पत्र में दिये गये घोषणा पर निर्वाचन में खड़े होने की अपनी रजामंदी को अभिव्यक्त करते हुए हस्ताक्षर करेगा।

(2) (क) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी श्रेणी से शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड के सदस्य के पद के लिए किसी अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका नाम सम्बन्धित बोर्ड में उस श्रेणी की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो।

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी पृथक नामांकन पत्र पर नामित किया जायेगा।

(ग) कोई अभ्यर्थी धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणी में नामांकन नहीं कर सकेगा।

नामांकन-पत्र प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामांकन की अपेक्षा किया जाना

16–(1) नामांकन पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी नामांकन–पत्रों की संख्या को तुरन्त उस क्रम में जिसमें वे प्रस्तुत किये गये हैं, क्रमवार संख्यांकित करेगा और प्रपत्र 6 में अभिस्वीकृति प्रदान करेगा। सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति स्वंय का समाधान कर लेगा कि अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक के नामांकन–पत्र में दर्ज नाम और संख्या, निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम और संख्या के समान हैं और जहां कहीं आवश्यकता हो, वह इस बात का निदेश देगा कि नामांकन पत्र को संशोधित कर दिया जाये जिससे कि वह निर्वाचक नामावली के अनुसार हो जाये।

(2) सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि करते समय केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों की अनवेक्षा कर सकता है किन्तु वह किसी नामांकन की औपचारिक स्वीकृति या अस्वीकृति करने या संवीक्षा करने के समय अपने द्वारा किये गये निर्वाचन को इसके कारणों सहित अभिलिखित करेगा।

प्राप्त नामांकनों को प्रकाशित किया जाना

17– उक्त प्रयोजनार्थ नियत दिनांकों को नामांकन पत्रों की प्राप्ति के विनिर्दिष्ट समय के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् इस रिटर्निंग अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति प्राप्त समस्त नामांकनों की प्रपत्र 7 में सूची हिन्दी और उर्दू भाषा में, इस नोटिस के साथ कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान, दिनांक और समय पर नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी, अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा।

प्रतिज्ञान पूर्वक शपथ

18– प्रत्येक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के समय या नामांकन की संवीक्षा के पूर्व किसी समय रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रपत्र–8 **में** प्रतिज्ञान पूर्वक शपथ ग्रहण करेगा।

नामांकन-पत्रों की संवीक्षा

19–(1) नामांकनों की संवीक्षा के लिए नियत दिनांक को अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति ऐसे स्थान और समय पर, जैसा नियम–17 के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाये, उपस्थित हो सकता है। तथापि सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिन्हें वह अपनी सहायता के लिये उचित समझे, अनुमति दे सकता है। रिटर्निंग अधिकारी पूर्वोक्त रूप में प्राप्त किये गये सभी अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा करने वाले ऐसे व्यक्तियों को सभी समुचित सुविधायें प्रदान करेगा।

(2) सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी इसके बाद अपने बोर्ड के नामांकन पत्रों की जाँच करेगा और सभी आपत्तियों को, जो किसी नामांकन के समय की जाये और या तो ऐसे प्रस्ताव पर स्वंय अपने से, ऐसी संक्षिप्त जाँच, जिसे वह आवश्यक समझे, पर विनिश्चय के पश्चात् किसी नामांकन को निम्नलिखित में से किसी कारण से अस्वीकृत कर देगा, अर्थात्:–

(एक) यह कि अभ्यर्थी, यथास्थिति, उस विशेष शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अपात्र है;

(दो) यह कि अभ्यर्थी ने अधिनियम की धारा 16 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता उपगत की है;

(तीन) यह कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या दोनों का नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं है;

(चार) यह कि अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक नियम 8 के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहा है; या

(पांच) यह कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक का नामांकन पत्र में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान वास्तविक नहीं है :

परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी का नामांकन उसके नाम या उसके प्रस्तावक के नाम के विवरण या उसके प्रस्तावक से सम्बन्धित किसी अन्य विवरण, जैसा कि निर्वाचक नामावली में दर्ज है, से अशुद्ध होने के कारण मात्र के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा यदि, यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक की पहचान समुचित रूप से संदेह के परे स्थापित है।

(3) सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के अपने विनिश्चय का पृष्ठांकन करेगा और यदि नामांकन पत्र अस्वीकृत किया

जाता है तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिए अपने कारणों का संक्षिप्त ब्यौरा लिखित रूप में अभिलिखित करेगा। संवीक्षा, इस निमित्त नियत दिनांक को जहॉ तक हो सके पूरी कर ली जायेगी और किसी अभ्यर्थी को उसके अभ्यर्थन के विरूद्ध किसी प्रतिविरोध का खण्डन करने का अवसर देने हेतु सम्बंधित बोर्ड के रिटर्निंग अधिकारी के विवेक के सिवाय सामान्यतः कार्यवाहियों का स्थगन किया जाना अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) इस नियम के प्रयोजन के लिए शिया या सुन्नी बोर्ड के निर्वाचकों के किसी श्रेणी की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि, इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्ति शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड का उस श्रेणी का एक निर्वाचक है जब तक कि यह साबित न हो जाये कि वह अधिनियम में उल्लिखित किसी अनर्हता के अध्यधीन है।

(5) नामांकन पत्रों की संवीक्षा कर लिये जाने और उन्हें स्वीकृत किये जाने या अस्वीकृत किये जाने सम्बंधी विनिश्चिय अभिलिखित कर लिये जाने पर सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक श्रेणी के अधीन वैध पाये गये नामांकनों की एक सूची तैयार करेगा और अपने सम्बन्धित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रपत्र 9 में प्रदर्शित करेगा।

नामांकनों का वापस लिया जाना

20– कोई अभ्यर्थी प्रपत्र 10 में लिखित रूप में अपना हस्ताक्षर करके, स्वंय या अपने प्रस्तावक द्वारा, वापसी के लिए नियत दिनांक को सांय 5:00 बजे से पहले रिटर्निंग अधिकारी को देकर अपना नामांकन वापस ले सकता है। रिटर्निंग अधिकारी वापसी सम्बंधी सूचना की यथार्थता और इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान का समाधान हो जाने पर प्रपत्र 10 में यथाविहित रूप में इसकी रसीद देगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन

21–(1) नामांकन वापसी के पश्चात् अगले दिन सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी ऐसे व्यक्तियों, जिनके नामांकन विधिमान्य पाये गये हों, की हिन्दी और उर्दू भाषा में प्रपत्र 11 में, एक सूची तैयार करेगा और इसे कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।

(2) सूची में अभ्यर्थियों के नाम, जैसा कि उनके नामांकन पत्र में हिन्दी और उर्दू में उल्लिखित हो, हिन्दी वर्णमाला के क्रम में सम्यक रूप से रखे जायेंगे।

निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के परिणाम की घोषणा

22–(1) यदि किसी विशेष श्रेणी में रिक्त/रिक्तियों की संख्या से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो मतदान कराया जायेगा।

(2) यदि किसी विशेष श्रेणी में रिक्तियों की संख्या नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर हो या कम हो तो सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को प्रपत्र 12 में विहित रीति से तुरन्त सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा और इसे निर्वाचन प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा।

मतदान से पूर्व अभ्यर्थी का निधन

23–यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी का निधन हो जाता है और मतदान प्रारम्भ होने से पहले उसके निधन की सूचना प्राप्त हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थी के निधन के तथ्य का समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और निर्वाचन प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगा तथा निर्वाचन की कार्यवाही सभी प्रकार से नये सिरे से शुरू की जायेगी, मानों नये निर्वाचन के लिए होः

परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसका नामांकन मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय विधिमान्य पाया गया हो, किसी नये नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

मतदान

24–(1) यदि मतदान कराया जाता है तो सम्बन्धित बोर्ड का रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा और यह देखेगा कि मतदान स्थल पर मतदान निष्पक्ष हो रहा है और एक समय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या को विनियमित करेगा और निम्नलिखित के अलावा सभी को बाहर करेगाः–

(क) अभ्यर्थी या उसका एक से अनधिक अभिकर्ता;

(ख) ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य लोक सेवक;

(ग) उसके अपने लिपिक तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचकों की पहचान के प्रयोजन से समय–समय पर अनुमति दे;

(घ) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ङ) किसी निर्वाचक की गोद में कोई शिशु; और

(च) किसी दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचक, जो सहायक के बिना चल न सके, के साथ कोई व्यक्ति।

(2) यदि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी महिला के पर्दा के कारण पहचान न की जा सकती हो तो उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह रिटर्निंग अधिकारी के समाधान होने तक अपनी पहचान किसी भी रीति से कराये।

स्पष्टीकरणः यदि यह प्रश्न उठता है कि इस उपनियम के अर्थान्तर्गत कोई व्यक्ति निकट सम्बन्धी है या नहीं है तो इसका विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

मताधिकार

25—मतदान निम्नलिखित रीति से कराया जायेगाः—

(1) मतदान व्यक्ति द्वारा स्वयं किया जायेगा;

(2) किसी निर्वाचन में मतदान करने वाले सभी निर्वाचक, नियमावली के अधीन उनके लिये उपलब्ध कराये गये मतदान स्थल पर स्वयं मतदान करेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति पर मतगणना की व्यवस्था की जायेगी।

(4) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल पर पर्याप्त संख्या में मतपेटियां, निर्वाचक नामावली की प्रतियां, जिनमें मतदान के हकदार निर्वाचकों का नाम अन्तर्विष्ट हो और यथा आवश्यक मतपत्रों को चिन्हित करने के लिये निर्वाचकों हेतु आवश्यक ऐसे अन्य पत्रजात तथा वस्तुएं, लेखन सामग्री तथा प्रपत्र उपलब्ध करायेगा।

(5) मतदान प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अभिकर्ता और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को अवलोकित करायेगा कि मतपेटी खाली है।

मत पत्र का प्ररूप

26—(1) प्रत्येक मतपत्र में क्रम संख्या और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार हिन्दी और उर्दू भाषाओं में होगी।

(2) किसी निर्वाचक को, जारी करने से पूर्व प्रत्येक मत पत्र परः—

(क) (एक) मुहर लगायी जायेगी या इसके पीछे लिखा जायेगा;

(दो) सदस्य का नाम और श्रेणी;

(तीन) निर्वाचन का स्थान;

(ख) इसके पीछे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पूरा हस्ताक्षर किया जायेगा।

मत पत्र जारी करना

27— किसी निर्वाचक को मत पत्र जारी करने के तुरन्त पश्चात रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक नामावली की कार्यालय प्रति पर मतपत्र प्राप्त किये जाने के संकेत के रूप में निर्वाचक का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और इस प्रति को रिटर्निंग अधिकारी अपने पास अभिलेख के लिए रखेगा।

निर्वाचकों द्वारा मतदान और मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता अनुरक्षित किया जाना

28—(1) प्रत्येक निर्वाचक, जिसे नियम 27 के अधीन मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान स्थल के भीतर मतदान की गोपनीयता अनुरक्षित रखेगा और इस प्रयोजन के लिए यहाँ इसके पश्चात् निर्धारित की गई मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक यथास्थिति मत—पत्र या पत्रों को प्राप्त करने पर तुरन्तः—

(क) मतदान कक्ष में जायेगा;

(ख) निर्वाचन लड़ने वालों, जिन्हें वह अधिमान देना चाहता हो, के नामों के समक्ष 1, 2, 3 और अग्रतर अंक लिखकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अग्रतर अधिमान अभिलिखित करेगा; और

(ग) मत पत्र को मोड़कर विनिर्दिष्ट मत पेटी में डाल देगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना कोई विलम्ब किये मत डालेगा।

दृष्टिहीन और अशक्त मतदाता

29–(1) यदि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण कोई निर्वाचक, मत–पत्र पर निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों के नाम की पहचान करने में या उस पर अपना अधिमान लिखने में असमर्थ है तो, रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक की इच्छा के अनुसार मत–पत्र पर मत अभिलिखित करेगा, इसे मोड़ेगा और मत पेटी में डाल देगा।

(2) इस नियम के अधीन कार्य करते हुए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी गोपनीयता का पालन करेगा और ऐसे प्रत्येक मामले का संक्षिप्त अभिलेख रखेगा, परन्तु उसमें ऐसी रीति, जिसमें कोई मत डाला गया है, को इंगित नहीं करेगा।

पहचान पर आक्षेप करना

30–(1) कोई अभ्यर्थी, किसी व्यक्ति जो विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करता हो, की पहचान पर रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रत्येक आक्षेप के लिए सौ रूपये नकद की धनराशि जमा करके, आक्षेप कर सकता है।

(2) इस प्रकार किये गये भुगतान पर रिटर्निंग अधिकारी–

(क) आक्षेपित व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा; और

(ख) निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पूरा–पूरा पढ़ेगा और उससे पूछेगा कि वह प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है या नहीं।

(3) तत्पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी आक्षेप की संक्षिप्त जाँच करेगा और इस प्रयोजन के लिए–

(क) आक्षेप करने वाले से आक्षेप के सबूत में साक्ष्य देने की और आक्षेपित व्यक्ति से अपनी पहचान के सबूत में साक्ष्य देने की अपेक्षा करेगा;

(ख) आक्षेपित व्यक्ति से अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से आवश्यक प्रश्न पूछेगा और शपथपूर्वक उसका उत्तर देने की उससे अपेक्षा करेगा; और

(ग) आक्षेप करने वाले और साक्ष्य देने का प्रस्ताव करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिलायेगा।

(4) यदि जाँच के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी समझता है कि आक्षेप को स्थापित नहीं किया गया है तो वह आक्षेपित व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा और यदि वह समझता है कि आक्षेप स्थापित हो गया है तो वह आक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित कर देगा।

(5) यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह विचार हो कि यह आक्षेप तुच्छ है या सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है तो वह निदेश देगा कि उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन जमा की गई धनराशि सम्बन्धित बोर्ड में समपहृत हो जायेगी और किसी अन्य मामले में वह इसके आक्षेपकर्ता को जाँच की समाप्ति के बाद वापस कर देगा।

खराब और वापस किये गये मत पत्र

31–(1) किसी निर्वाचक को, जिसने अपने मत–पत्र के साथ असावधानी पूर्वक व्यवहार किया हो, रिटर्निंग अधिकारी को इसे वापस कर देने पर और असावधानी के कारण से, उसके संतुष्ट हो जाने पर, दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार वापस मतपत्र और ऐसे मत पत्र के प्रतिपत्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा "खराब रद्द" अंकित किया जायेगा।

(2) यदि किसी निर्वाचक ने मत पत्र प्राप्त करने के पश्चात् इसको उपयोग न करने का विनिश्चय किया हो तो वह इसे रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर देगा और इस प्रकार वापस किये गये मत पत्र और ऐसे मत पत्र के प्रतिपत्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा "वापस रद्द" अंकित किया जायेगा।

(3) उपरोक्त उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन रद्द किये गये समस्त पत्रों को पृथक लिफाफे में रखा जायेगा।

मत पेटी को खोलना

32– (1) रिटर्निंग अधिकारी मतदान के तुरन्त बाद उसी स्थान पर जहाँ मतदान हुआ हो–

(क) अपने बोर्ड की मत पेटी को खोलेगा, मत पत्र की गणना करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मत पेटी में उतने ही मत पत्र हैं जितनी संख्या में कार्यालय प्रति के निर्वाचक नामावली के अनुसार मत–पत्र निर्गत किये गये थे।

(ख) अस्वीकृत किये गये मत पत्रों में से ऐसे मत–पत्र जिन्हें वह वैध समझता है को, प्रत्येक अस्वीकृत मत–पत्र पर अस्वीकृति के आधार के साथ "अस्वीकृत" अंकित किये गये मत–पत्रों से अलग करेगा।

मत पत्रों की अविधिमान्यता

33– निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक मामलों में कोई मत–पत्र अविधिमान्य हो जायेगा,

(क) एक से अधिक नाम के समक्ष एक समान अधिमान अभिलिखित हो;

(ख) अधिमान की गिनती इस प्रकार अंकित हो जिससे यह संदेह उत्पन्न हो कि इसे किस अभ्यर्थी के लिए किया गया आशयित है;

(ग) अंक या अन्य कोई संख्या, नाम के सामने इस प्रकार लिखी गई हो कि यह सुनिश्चित करना संभव न हो कि निर्वाचक का आशयित अधिमान क्या है;

(घ) कोई ऐसा चिन्ह या शब्द जिससे निर्वाचक को पहचाना जा सके।

मतों की गणना

34– मतों की गणना, मतदान के तुरन्त बाद उसी स्थान पर की जायेगी जहाँ मतदान हुआ हो।

(1) अविधिमान्य मतपत्रों को अस्वीकृत करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी –

(क) किसी अभ्यर्थी के लिए डाले गये प्रथम अधिमान के अधिकतम मतों की गणना करेगा, इसके बाद किसी अभ्यर्थी के लिए डाले गये द्वितीय वरीयता के अधिकतम मतों की गणना करेगा और इसी प्रकार आगे की गणना करेगा और उसी क्रम में अभ्यर्थियों के नाम रखेगा।

(ख) इस प्रकार की गयी गणना के पश्चात् यदि रिक्ति की संख्या एक हो तो प्रथम अधिमान के अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा और दो रिक्तयां होने की दशा में द्वितीय अधिमान से अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय रिक्ति के लिए विजयी घोषित करेगा।

(2) जब मत गणना की समाप्ति के पश्चात सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतों का मूल्य बराबर–बराबर हो और अंतरण के लिए कोई मत शेष न हो तो रिटर्निंग अधिकारी लाट द्वारा निश्चय करेगा कि उनमें से किसे अलग किया जायेगा और अन्य अभ्यर्थियों में से लाट निकालकर विजयी अभ्यर्थी घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि इस प्रयोजन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1951) के अधीन बनायी गई निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के भाग सात में उपदर्शित विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

पुनर्मतगणना का उपबन्ध

35–(1) कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रस्तावक, मतों की गणना के दौरान चाहे मतों की गणना की समाप्ति के पहले या बाद में किसी समय, रिटर्निंग अधिकारी से सभी या किसी एक अभ्यर्थी के मत पत्रों की पुनः परीक्षण और पुनर्गणना के लिए अनुरोध कर सकता है और रिटर्निंग अधिकारी तदनुसार इसका पुनः परीक्षण और पुनर्गणना कर सकता है।

(2) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी मामले, जिसमें वह पूर्व में किसी गणना की शुद्धता से संतुष्ट न हो, में अपने विवेक पर एक बार या एक से अधिक बार पुनर्गणना करा सकता हैः

परन्तु यह कि इस उप–नियम की कोई बात रिटर्निंग अधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं होगी कि वह एक से अधिक बार इसकी पुनर्गणना कराये।

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाना और वापस किया जाना

36–(1) मतगणना सम्पन्न हो जाने पर रिटर्निंग अधिकारी पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन :–

(क) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक), (दो), (तीन) और (चार) के अधीन जैसा कि उपयुक्त हो प्रपत्र 12 में परिणाम की घोषणा करेगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियों को निर्वाचन प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा।

(2) तत्पश्चात रिटर्निंग अधिकारी–

(क) विधिमान्य मत पत्रों को एक लिफाफा में और अस्वीकृत मत पत्रों को दूसरे लिफाफा में रखेगा;

(ख) रिटर्निंग अधिकारी की मुहर और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं या मतगणना अभिकर्ताओं, जो अपनी अपनी मुहर लगाना चाहें, की मुहर से खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक लिफाफा को मुहरबंद करेगा; और

(ग) प्रत्येक मुहरबंद लिफाफों पर उसमें रखी वस्तुओं का विवरण और निर्वाचन का दिनांक अभिलिखित करेगा।

अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना

37– किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने की घोषणा के बाद, यथा संभव शीघ्र, रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को प्रपत्र 13 में निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और अभ्यर्थी से इसकी प्राप्ति की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

निर्वाचन के पश्चात जमा की जाने वाली सामग्री

38 (1) निर्वाचन समाप्त हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी, अभिलेख के लिए सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु निम्नलिखित सामग्री, निर्वाचन प्राधिकारी के पास जमा करेगाः–

(क) नियम 32 के उपनियम (1) (ख) में उल्लिखित मत–पत्रों के लिफाफे;

(ख) मत पत्र प्राप्त कर निर्वाचकों के हस्ताक्षर से जारी निर्वाचक नामावली तथा मत पत्र की प्रतिपर्ण की कार्यालय प्रति;

(ग) निष्पक्ष और शान्ति पूर्ण मतदान संचालन की संक्षिप्त रिपोर्ट जिसमें मतदान के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं, यदि कोई हों, उल्लिखित होंगी, जिसमें किसी निर्वाचक की पहचान के सम्बन्ध में किये गये आक्षेप और उस पर रिटर्निंग अधिकारी के विनिश्चय सम्मिलित होंगे;

(घ) निर्वाचित अभ्यर्थियों को जारी किये गये निर्वाचन प्रमाण पत्र की कार्यालय प्रति और उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति रसीदें; और

(ङ) कोई अन्य सुसंगत पत्रजात।

(2) निर्वाचन प्राधिकारी को प्रस्तुत रिकॉर्ड एक वर्ष की अवधि के लिए या निर्वाचन से संबंधित याचिका के अंतिम निपटान तक, यदि कोई हो, जो भी बाद में हो, परिरक्षित किया जाएगा।

आवश्यक नामांकन किया जाना

39–सरकार अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) और (3) के खण्ड (ग) (घ) और (ङ) के अधीन सम्बन्धित बोर्ड की रिक्तियों को भरने के लिए यथास्थिति सुन्नी और शिया मुसलमानों को नामांकित करके आवश्यक नामांकन करेगी।

बोर्ड का गठन

40– (1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचन का परिणाम प्राप्त हो जाने और यथास्थिति, धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ड.) के अधीन नामांकन अथवा यथास्थिति धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन नामांकन के पश्चात् सरकार सम्बन्धित बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करते हुए धारा 14 की उपधारा (9) के अधीन एक अधिसूचना जारी करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना को सरकारी गजट में और हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जायेगा।

(3) बोर्ड में नियुक्त कम से कम दो सदस्य महिलायें होंगी।

आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना

41—अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यदि किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचन कराया गया हो तो रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचन का परिणाम प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (9) के अधीन ऐसे सदस्य को सम्बन्धित बोर्ड का सदस्य नियुक्त करते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करेगी।

अध्यक्ष का निर्वाचन

42—(1) नियम 40 के अधीन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति किये जाने पर सरकार, बोर्ड के सदस्यों में से अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बोर्ड की प्रथम बैठक को अधिसूचित करेगी।

(2) बैठक की अध्यक्षता शासन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव करेगा जो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कार्यवाहियां संचालित करेगा।

(3) अध्यक्ष के पद के लिए अभ्यर्थी का नाम किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका समर्थन किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा और मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा।

(4) किसी सदस्य के पास केवल एक मत होगा और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष का निर्वाचन और अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आयोजित की गयी बैठक की कार्यवाहियां सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जायेंगी और इससे बैठक का कार्यवृत्त सृजित होगा।

(6) बराबरी की स्थिति में प्रत्याशियों के नाम, लाट में रखे जाएंगे और अध्यक्ष का चयन लाट में से किया जाएगा।

(7) (क) यदि अध्यक्ष या बोर्ड के किसी सदस्य के निर्वाचन की विधिमान्यता के सम्बंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई हितबद्व व्यक्ति निर्वाचन के परिणाम की घोषणा किये जाने के तीस दिनों के भीतर अधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद/प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

(8) अधिकरण, आवेदन दाखिल किये जाने के एक वर्ष के भीतर इसका निस्तारण करेगा।

(9) संबंधित बोर्ड, अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर निर्वाचन को चुनौती दी जा रही है।

(10) जिस व्यक्ति की सदस्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया हो उसे याचिका का प्रतिवादी बनाया जाएगा।

(11) (क) उक्त निर्वाचन याचिका अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व याचिका की लागत के लिये प्रतिभूति के रूप में 5000 रूपये की धनराशि राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जायेगी।

(ख) प्रत्येक याचिका के साथ एक रसीद संलग्न की जानी होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उक्त प्रतिभूति जमा कर दी गयी है।

(ग) प्रत्येक याचिका पर न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में, एक हजार रूपये फीस का भुगतान किया जायेगा।

(12) (क) अधिकरण, वादों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये निर्वाचन याचिका का निस्तारण करेगा, जहॉ तक कि यह अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो।

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के उपबन्ध, अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन याचिका के निस्तारण की कार्यवाही में सभी प्रकार से प्रयोज्य होंगे।

(13) बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष के निर्वाचन संचालन हेतु व्यय, सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

indiaCode

सुन्नी बोर्ड/शिया बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा की निबंधन और शर्तें

43–(1) अधिनियम की धारा 23 के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो तो वह स्वीकृत वेतनमान में पूर्व पेंशन को जोड़कर वेतन इस शर्त के अध्यधीन आहरित करेगा कि इस प्रकार आहरित वेतन और पेंशन (उसके द्वारा आहरित किसी उपदान के समतुल्य पेंशन सहित) का योग सेवा निवृत्ति के समय के वेतन से अधिक नहीं होगा और वाह्य सेवा पर गये सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम, ऐसे अधिकारियों पर यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को यथा स्थिति सरकारी (निकाय) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय निकाय, के अधीन पूर्व नियोजन में उसे अनुमन्य अन्य भत्तों सहित वेतनमान में वेतन आहरित करने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी और सरकारी नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा :

परन्तु यह कि प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। परन्तु यह भी कि सरकार के पास सम्बंधित बोर्ड की संस्तुति पर या स्वप्रेरणा से लोकहित में, पद की प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाने या घटाने की शक्ति होगी।

(3) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संप्रत्यावर्तित किये जाने/उसे हटाये जाने के कारण कोई रिक्ति होती है तो सरकार के पास सम्बन्धित बोर्ड के किसी वरिष्ठ अधिकारी को रिक्ति भरे जाने तक कार्यवाहक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्य और आचरण की गोपनीय रिपोर्ट, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा लिखी जायेगी और वक्फ मामलों के शासकीय प्रभारी सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव को पुनर्विलोकन हेतु भेजी जायेगी।

(5) यदि सम्बन्धित बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तो वह बोर्ड को ऐसी दरों पर जैसाकि उसकी मासिक परिलब्धियों के आधार पर समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय या सम्बन्धित बोर्ड द्वारा यथा अवधारित मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान करेगा और यदि कोई फर्नीचर उपलब्ध कराया गया हो तो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फर्नीचर शुल्क का भुगतान करेगा।

(6) सरकार में समान श्रेणी के किसी अधिकारी के लिये तत्समय प्रवृत्त यात्रा भत्ता मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए लागू होगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को समयमान वेतनमान में आवधिक वेतनवृद्धि सम्बंधित बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(8) सरकारी कर्मचारियों हेतु लागू अवकाश नियम और सम्बन्धित बोर्ड के कर्मचारियों हेतु लागू आकस्मिक अवकाश नियम मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिये लागू होंगे।

(9) आकस्मिक अवकाश, सम्बन्धित बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा और आकस्मिक अवकाश से भिन्न अवकाश सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(10) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किसी अधिकारी के मामले में, वह तब तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद धारित करता रहेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता है या जैसा कि उसकी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट हों, जो भी पहले हो। प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति के मामले में, वह अपने नियुक्ति आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अवधि तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर बना रहेगा, तथापि उसे अपनी अधिवर्षिता के दिनांक से अन्यून एक माह पूर्व अपने मूल संवर्ग में वापस आना होगा।

(11) सरकार में समान श्रेणी के अधिकारियों के लिये लागू अनुशासनिक मामलों से संबंधित सेवा की अन्य समस्त निबन्धन एवं शर्तें, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिये लागू होंगी।

ऐसी शर्तें और निबंधन, जिनके अध्यधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी किसी लोक कार्यालय के अभिलेखों और रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है

44–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत सम्बन्धित बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी अधिनियम की धारा 29 के अधीन, निरीक्षण करने के प्रयोजन से कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को ऐसा करने के अपने आशय को अभिव्यक्त करते हुए लिखित में आवेदन करेगा।

(2) प्रभारी अधिकारी उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के भीतर निरीक्षण की अनुमति देगा।

(3) मुतवल्ली या वक्फ सम्पत्ति से संबंधित किसी दस्तावेज को अभिरक्षा में रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप में ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर दस दिन के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और यदि ऐसा वांछित हो तो अगले दस दिनों के भीतर दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(4) (क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध किये जाने पर कोई सरकारी अभिकरण या कोई अन्य संगठन, वक्फ़ सम्पत्तियों या वक्फ़ सम्पत्ति के रूप में दावा की गई सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतियों की तथा सम्पत्ति रजिस्टर की या अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति दस कार्य दिवसों के भीतर करेगा।

(ख) यदि किसी कारण से अपेक्षित दस्तावेजों की आपूर्ति दस कार्य दिवस के भीतर न की जा सके तो सरकार का संबंधित अभिकरण या संगठन, सूचना/दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए अग्रतर अनधिक दस कार्य दिवस की अपेक्षा करेगा।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेजों की आपूर्ति निःशुल्क किया जायेगा :

परन्तु यह कि उप नियम (3) और (4) के अधीन सूचना/ दस्तावेज मांगने से पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्बन्धित बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

दस्तावेज की प्रति का निरीक्षण किया जाना और उसे जारी किया जाना

45–(1) बोर्ड के अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए समस्त आवेदन उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट धनराशि के साथ प्रपत्र 14 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किये जायेंगे :

परन्तु यह कि यह उपनियम, आवेदनों के लिए मांगी गयी सूचनाओं के उत्तर में प्रस्तुत आवेदनों के लिये तब तक लागू नहीं होगा जब तक की उक्त नोटिस में या छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकाओं के लिए कृत आवेदनों में अन्यथा रूप में उल्लिखित न हो।

(2) सम्बन्धित बोर्ड या किसी समिति के अभिलेखों या कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये आवेदन किये जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 110 के अधीन बनायी गयी विनियमावली के अधीन बोर्ड द्वारा विहित अपेक्षित फीस का भुगतान किये जाने पर अनुमति दी जा सकती है जिसे आवेदक द्वारा संबंधित बोर्ड के कार्यालय में अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा।

(3) शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड या किसी समिति के अभिलेख या कार्यवाहियों की सत्यापित प्रति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में उपबंधित रीति से प्रपत्र 15 में आवेदन किये जाने पर और बोर्ड द्वारा यथा विहित अपेक्षित फीस का भुगतान किये जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है :

परन्तु यह कि बोर्ड द्वारा यथा विहित अपेक्षित फीस की सम्बन्धित बोर्ड की रसीद प्रपत्र 15 में आवेदन के साथ संलग्न होगी।

(4) इस नियम के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति अभिलेखों का निरीक्षण करने के हकदार होंगे, अर्थात्:–

(क) वक्फ़–अलल–औलाद से भिन्न किसी वक्फ़ के लिए वक्फ़ में हित रखने वाला व्यक्ति;

(ख) वक्फ़–अलल–औलाद के लिए वाकिफ, उसके वंशज, मुतवल्ली और वक्फ़ के लाभार्थी।

(5) आवेदकों को आवेदन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर यथा प्रयोज्य सुसंगत प्रतियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति

46–(1) संबंधित बोर्ड, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी के व्यक्ति को अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगा, अर्थात् :–

(क) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के समूह 'ख' से अनिम्न श्रेणी का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसकी आयु बासठ वर्ष से अधिक न हो; या

(ख) राज्य/केन्द्रीय सिविल सेवा का समतुल्य श्रेणी का कोई अधिकारी; या

(ग) अधीक्षक/प्रबन्धक संवर्ग के समतुल्य बोर्ड का ऐसा पदाधिकारी; जो

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि धारित करता हो; और

(दो) कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण किया हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी और कार्यपालक अधिकारी पद के लिए अनुमन्य वेतनमान और अन्य भत्ते, शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड द्वारा नियत किये जायेंगे।

(3) यदि नियुक्ति अंशकालिक नियुक्ति है तो शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड द्वारा एक उपयुक्त मानदेय नियत किया जा सकेगा।

(4) यदि उक्त नियुक्ति सरकारी सेवक की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाय तो उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि, सेवा की शर्तों और वेतन तथा भत्ते सिविल सर्विसेज रूल्स के अनुसार विनियमित होंगे।

(5) यदि सरकारी सेवक की नियुक्ति उसके अपने कर्तव्यों के साथ–साथ हो तो वह ऐसा पारिश्रमिक आहरित करने का हकदार होगा जैसा कि बोर्ड द्वारा नियत किया जाय।

(6) यदि अधीक्षक/प्रबंधक की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हो तो उक्त पद का ऐसा वेतनमान होगा जैसा कि सम्बन्धित बोर्ड द्वारा नियत किया जाय।

(7) किसी कार्यपालक अधिकारी को अवैतनिक आधार पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकता है।

(8) किसी ऐसे वक्फ के लिये, जिसकी सकल वार्षिक आय पांच लाख रूपये से कम न हो, कार्यपालक अधिकारी को निम्नलिखित सहायक कर्मचारी वर्ग, जैसा आवश्यक समझा जाय, उपलब्ध कराये जा सकते हैं, अर्थात् :–

(क) किराया संग्राहक/प्रबन्धक/शेरिस्तेदार.....एक

(ख) लिपिक सह–टंककएक

(ग) राजस्व लिपिक/पटवारी/देयक संग्राहक.....एक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ऐसी सम्पत्ति की जांच, जो वक्फ सम्पत्ति न रह गयी हो

47–(1) अधिनियम की धारा 39 की उपधारा(1) के अधीन जांच करने के प्रयोजनार्थ मुख्य कार्यपालक अधिकारी जांच अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे किसी वक्फ जिसका उद्देश्य या उसका कोई आंशिक भाग अस्तित्व में न रह गया हो, के सम्बन्ध में जांच करने के लिए उनको दिनांक, समय और स्थान की सूचना देते हुए जांच की नोटिस प्रपत्र 16 में जारी करेगा।

(3) ऐसे समस्त व्यक्ति, जो उपनियम (2) के अधीन जारी की गयी नोटिस के उत्तर में उपस्थित होते हैं, को सुनवाई के नियत समय पर सुना जायेगा और जाँच अधिकारी आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हों, से अन्तर्विष्ट लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय–समय पर स्थगन प्रदान कर सकता है।

(4) कार्यवाही के किसी पक्षकार को मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या अभिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने और साक्षियों या दस्तावेजों को समन करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) जांच अधिकारी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा और अभिवक्ता को उपस्थित होने, शपथ पत्र दाखिल करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, साक्षियों का परीक्षण करने, मौखिक साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने, कमीशन जारी करने और दस्तावेजों को वापस करने और अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा।

(6) जांच अधिकारी छह माह के भीतर जांच पूर्ण करेगा और जांच समाप्त होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

मुतवल्ली द्वारा बजट तैयार किये जाने का समय और रीति

48–(1) किसी वक्फ का प्रत्येक मुतवल्ली आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियों और व्यय को प्रदर्शित करते हुए वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से तीस दिन पूर्व बोर्ड को प्रपत्र 17 में एक बजट प्रस्तुत करेगा :

परन्तु इस प्रकार तैयार किया गया बजट संपोषणीय होगा और घाटे के बजट से बचना चाहिए।

(2) सरकार अधिष्ठान सम्बंधी व्यय को पूरा करने के लिए सम्बन्धित बोर्ड को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।

(3) सम्बन्धित बोर्ड बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट बाध्यकारी व्यय के लिए और ऐसे प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उपबंध किया गया हो जिन्हें वक्फ़ विलेख द्वारा वक्फ़ पर विनिर्दिष्ट रूप में व्यादिष्ट किया जा सकता हो।

(4) सम्बन्धित बोर्ड बजट को उपांतरित करने के लिए ऐसे निदेश दे सकता है, यदि वह किसी मद को वक्फ के उद्देश्यों या अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल समझता है।

(5) यदि सम्बन्धित बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि बजट में कतिपय मदों के लिए पर्याप्त उपबंध नहीं किया गया है तो उसके पास उसमें ऐसी रीति से उपान्तरण जैसाकि ऐसा उपबन्ध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, करने की शक्ति होगी और इसे मुतवल्ली को वापस करने की शक्ति होगी।

(6) प्रत्येक मुतवल्ली सुझावों पर विचार करेगा और बोर्ड द्वारा किये गये उपांतरणों को बजट में सम्मिलित करेगा और वित्तीय वर्ष जिससे यह सम्बन्धित हो, के प्रारम्भ होने के पहले बजट को पारित करेगा।

(7) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी सम्बन्धित बोर्ड अधिनियम के उपबंधों और वक्फ़ विलेख के अनुरूप अपने बजट अनुमानों को उपांतरित करने का मुतवल्ली को निदेश दे सकता है और मुतवल्ली को बोर्ड के निदेशों का अनुपालन करना होगा।

(8) जैसे ही बजट पारित किया जाय, वैसे ही प्रत्येक मुतवल्ली को तत्काल तत्सम्बंधी प्रतियां बोर्ड को प्रेषित करनी होगी।

(9) किसी वक्फ द्वारा या उसकी ओर से कोई धनराशि तब तक व्यय नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी धनराशि, अधिनियम की धारा 44 के अधीन स्वीकृत और व्यय उपगत किये जाने के समय प्रभावी बजट अनुमान में सम्मिलित न की गई हो।

(10) यदि किसी वर्ष के दौरान, कोई मुतवल्ली प्राप्तियों या वक्फ़ की ओर से उसके द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सेवाओं पर व्यय की गई धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में बजट में दर्शायी गई धनराशि में परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो एक अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।

शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के अधीन औकाफों का बजट

49–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र 18 में सम्बद्ध बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के अधीन समस्त औकाफों के लिये आगामी वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय के अनुमान के समस्त विवरणों से अन्तर्विष्ट बजट तैयार करेगा।

(2) (क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन समस्त औकाफों, जिनके लिए उपनियम (1) के अधीन आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार किया जाना है, की सूची प्रपत्र 19 में चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर मास तक तैयार करेगा।

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्बन्धित बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के अधीन औकाफ के प्रत्येक पदाधिकारियों को आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रपत्र 20 में बजट प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार किये गये बजट में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रपत्र 21 में औकाफ की आय में वृद्धि का विवरण, यदि कोई हो, और अच्छे प्रबन्ध के लिए उठाये गये कदम और प्राप्त परिणाम का ब्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि बजट में पर्याप्त उपबंध नहीं किया गया है तो उसे उसमें इस रीति से उपान्तरण करने का अधिकार होगा जैसा कि इस प्रकार का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो और वित्तीय वर्ष, जिससे यह सम्बन्धित हो, के प्रारम्भ होने से पूर्व बजट पारित करेगा।

(5) यदि वर्ष के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह समझता है कि प्राप्तियों और वक्फ़ की ओर से बोर्ड द्वारा की जा रही विभिन्न सेवाओं पर व्यय की जाने वाली धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में बजट में दर्शायी गई धनराशि को परिवर्तित करना आवश्यक है तो अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट तैयार करके बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।

ऐसा अन्तराल जब औकाफ के लेखाओं की लेखा–परीक्षा की जा सकती है

50–(1) ऐसे औकाफ, जिनकी शुद्ध वार्षिक आय पचास हजार रूपये से अधिक हो, के लेखाओं को मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर बोर्ड को लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) नियम (1) के अधीन प्रस्तुत लेखाओं की लेखा–परीक्षा अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि के भीतर की जायेगी :

परन्तु यह कि ऐसी लेखाओं की लेखा–परीक्षा अध्यक्ष के अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से दो वर्ष के भीतर की जा सकती है।

अधिनियम के उल्लंघन में अंतरित सम्पत्ति की वसूली

51–(1) परिक्षेत्र में जहां सम्पत्ति अवस्थित है, किसी व्यक्ति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा 51 या 56 के उपबंधों के उल्लंघन में यदि किसी वक्फ सम्पत्ति का अन्तरण किया गया हो तो बोर्ड अधिनियम की धारा 37 के अधीन अनुरक्षित औकाफ रजिस्टर से संतुष्ट होने पर कि अन्तरित की जानेवाली अभिकथित सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है, बोर्ड संबंधित निबन्धन कार्यालय से अंतरण विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करेगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वक्फ सम्पत्ति, सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित अंतरण विलेख का विवरण, विलेख या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पूरी विशिष्टियां और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें सम्पत्ति अंतरित की गयी हो, की विशिष्टयों सहित नाम विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) रिपोर्ट को बोर्ड के आदेश के लिये रखा जायेगा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे दस्तावेजों की जांच, जिन्हें आवश्यक समझा जाय और/या ऐसे व्यक्तियों से जांच करने, जैसा युक्तियुक्त समझा जाये, के पश्चात् बोर्ड संबंधित जिला कलेक्टर को बोर्ड की सम्पत्ति प्राप्त करने और उसका कब्जा देने के लिए अध्यपेक्षा भेजने का आदेश पारित करेगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रपत्र–22 में कलेक्टर को भेजी जाने वाली अध्यपेक्षा तैयार की जायेगी और संबंधित जिला कलेक्टर को विशेष संदेशवाहक के माध्यम से या पावती सहित रजिस्ट्री डाक से भेजेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश प्रपत्र–23 में होगा।

(6) ऐसा व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी किया जाना हो, यदि उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण में अपील करता है तो वह अपील के ज्ञापन की एक प्रति कलेक्टर को बोर्ड को अपील दाखिल करने के दिनांक को तुरंत भेजेगा और कलेक्टर इसके बचाव की व्यवस्था करेगा और ऐसी अपील की सूचना भी बोर्ड को देगा।

(7) अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (5) के अधीन सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय,–

(क) कलेक्टर के आदेश का निष्पादन करते समय कोई भी व्यक्ति निवास गृह के अधिभोगी को अड़तालीस घंटे की सूचना दिये बिना किसी निवास गृह में प्रवेश नहीं करेगा।

(ख) किसी निवास गृह का बाहरी दरवाजा तब तक नहीं तोड़ा जायेगा जब तक कि ऐसे निवास गृह का अधिभोगी इंकार कर दे या किसी भी रूप में इसमें प्रवेश करने से रोके।

(ग) कलेक्टर के आदेश का निष्पादन करते समय कोई व्यक्ति किसी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं करेगा।

(8) सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लेने के पश्चात् कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उक्त सम्पत्ति को समुचित अभिस्वीकृति के आधार पर सम्बद्ध बोर्ड को या बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंप देगा।

अधिक्रमण हटाने की नोटिस

52–(1) इस नियम के अधीन अधिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल उन्हीं सम्पत्तियों से की जायेगी जो भू–अभिलेख कार्यालय में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राजस्व अभिलेखों में वक्फ सम्पत्तियों के रूप में अभिलिखित हों (यथा तहसील के खतौनी/घरौनी अभिलेख, नगर निकाय के सम्पत्ति रजिस्टर आदि में) और सम्पत्ति का आधार वर्ष 1359 फसली से मिलान करना और यह सुनिश्चित करना कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 के अनुसार सम्पत्ति आरक्षित श्रेणी में सम्मिलित नहीं हों।

(2) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन अतिक्रमण हटाने की नोटिस, ऐसे व्यक्ति को, जिसके लिये यह आशयित हो, या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा तामीलकर्ता अधिकारी/विशेष संदेश वाहक के माध्यम से तामील करायी जायेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक से उस व्यक्ति को सम्बोधित पत्र में उसके सामान्य पते या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान अथवा व्यापार के पते पर प्रपत्र 24 में भेज कर तामील करायी जायेगी।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन नोटिस परिदत्त की जाय या दी जाये वहां प्रदान किये जाने की अभिस्वीकृति के पहचान के रूप में ऐसे व्यक्ति, जिसे प्रतिलिपियां प्रदान की गयी हों या दी गयी हों, का हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

(4) जहां उक्त व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के परिवार का वयस्क सदस्य अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देता है या जहां ऐसे व्यक्ति को सम्यक और युक्तियुक्त पूर्वक परिश्रम करने के पश्चात् भी ढूंढ़ा न जा सके और ऐसे व्यक्ति के परिवार में कोई वयस्क सदस्य न हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति के सामान्य निवास या सामान्य व्यापार स्थल के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सहज दृश्य स्थान पर नोटिस चस्पा कर दी जायेगी और जहां कोई निर्माण न किया गया हो और परिसर कृषि या कृषि से भिन्न भूमि हो वहां नोटिस सम्पत्ति के किसी भाग पर चस्पा कर दी जायेगी और दूसरी नोटिस मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उस पर एक रिपोर्ट पृष्ठांकित करके या उसके साथ संलग्न करके वापस कर दी जायेगी जिसमें इस बात का ब्यौरा होगा कि किस प्रकार से एक प्रति चस्पा की गयी है, वह परिस्थितियां, जिसके कारण ऐसा किया गया और उस व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसके सामान्य आवास या सामान्य व्यापार स्थल की पहचान की हो और जिसकी उपस्थिति में नोटिस चस्पा की गयी, का नाम और पता होगा।

(5) यदि जारी की गयी नोटिस ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से तामील न की गयी हो तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह उचित समझे, निदेश दे सकता है कि ऐसी नोटिस को उस

परिक्षेत्र में प्रसार वाले कम से कम किसी एक समाचार पत्र में प्रकाशित भी करायी जायेगी और परिक्षेत्र में डुग्गी बजवाकर या किसी अन्य रीति से, जिसे वह उपयुक्त समझे, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार किसी नोटिस के विषयवस्तु की उद्घोषणा करा सकता है।

वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमण पर जांच संचालित करना

53– (1) वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमण से संबंधित मामलों में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी पक्षकारों को विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अतिक्रमण के संबंध में उनके अपने–अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट दिनांक और समय पर व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने के लिए बुला सकेगा।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति, नियम 52 के अधीन नोटिस प्राप्त करता है, और स्वयं को सुने जाने या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी लिखित रूप में ऐसी सुनवाई के लिए प्राधिकृत करेगा और पक्षकार को उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकता है जिन्हें वह उपदर्शित मामले के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी वैयक्तिक सुनवाई और साक्ष्यों की संवीक्षा के लिए कोई दिनांक नियत कर सकता है, जैसा वह प्रत्येक मामले में उचित समझे।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी पक्षकारों को सुन सकता है, ऐसे समस्त साक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है जिन्हें उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाय, प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में जैसा वह आवश्यक समझे ऐसा अग्रतर साक्ष्य, यदि कोई हो, लेगा, उसके समक्ष निविदत्त साक्ष्यों के सार–संक्षेप को अभिलिखित करेगा और ऐसे साक्ष्यों का सार संक्षेप और उसके समक्ष दाखिल किये गये कोई सुसंगत दस्तावेज कार्यवाही के अभिलेख का हिस्सा होंगे।

(4) प्रत्येक मामले में जांच के अभिलेखो में निम्नलिखित अभिलेख सम्मिलित होंगे–

(क) कार्यवाही का कार्यवृत्त;

(ख) जांच में आपत्तियां प्राप्त करने के लिए नोटिस और प्राप्त आपत्तियां;

(ग) जांच में प्राप्त साक्ष्य; और

(घ) कारणों का संक्षिप्त विवरण और विनिश्चय

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किसी पक्षकार को सुनने या विवादित विषय वस्तु के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को बयान देने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा करने से कोई बात प्रवारित नहीं करेगी।

(6) पक्षकारों की सुनवाई करने, आपत्तियों का परिशीलन करने और साक्ष्य अवलोकन के पश्चात यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति वक्फ़ सम्पत्ति है और ऐसी किसी वक्फ़ सम्पत्ति पर अतिक्रमण हुआ है तो वह आदेश द्वारा प्रपत्र 25 में अतिक्रमणकर्ता से ऐसे अतिक्रमण को हटाने और अतिक्रमित भूमि, भवन, स्थान या अन्य सम्पत्ति का कब्जा बोर्ड या बोर्ड के मुतवल्ली को सौंपने की अपेक्षा कर सकता है।

(7) यदि ऐसी किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को कार्यवाही का पक्षकार बनाने के लिए कह सकता है और तदोपरान्त जांच जारी रखेगा और यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन से मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि कौन–कौन होंगे, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को पक्षकार बना दिया जायेगा।

(8) यदि उपनियम (6) के अधीन किये गये आदेश की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर वक्फ़ सम्पत्ति खाली नहीं की जाती है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे अतिक्रमण को हटाने और बोर्ड या मुतवल्ली को वक्फ़ सम्पत्ति का कब्जा देने के लिए अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के समक्ष बेदखली का आदेश स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(9) अधिकरण उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध आवेदन किया गया है, सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् बेदखली का आदेश पारित करेगा और वक्फ़ सम्पत्ति पर बेदखली के आदेश की एक प्रति चस्पा करने के लिए आदेश देगा।

(10) यदि कोई व्यक्ति आदेश तामील होने के पैंतालीस दिनों के भीतर अधिकरण द्वारा पारित बेदखली आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी उक्त मामला, प्रपत्र 26 में सम्बंधित क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट कर देगा।

नुकसान का निर्धारण

54– किसी वक्फ़ परिसर के अप्राधिकृत उपयोग और अतिक्रमण से हुए नुकसान का निर्धारण करने में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निम्नलिखित बातों पर विचार करना होगा, अर्थात्:–

(क) प्रयोजन और वह अवधि जब तक वक्फ़ परिसर अप्राधिकृत उपयोग में रहा हो;

(ख) ऐसे परिसर में उपलब्ध सुविधा का स्वरूप, आकार और स्तर;

(ग) ऐसा किराया, जो परिसर को किसी अन्य व्यक्ति को अतिक्रमण की अवधि में किराये पर दिये जाने पर वसूला गया होता;

(घ) अतिक्रमण की अवधि के दौरान परिसर को पहुँचायी गई कोई क्षति;

(ङ) कोई अन्य बात जो नुकसान के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सुसंगत हो।

(च) वक्फ संपत्ति के अप्राधिकृत उपयोग और अधिभोग के नुकसानों का अवधारण स्टांप शुल्क के संदाय के विवाद पर कलेक्टर द्वारा अवधारित वक्फ परिसर के बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

(छ) नुकसानों की दर, उसके अधिभोगाधीन वक्फ सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत वार्षिक होगी।

(ज) यदि वक्फ परिसर को अप्राधिकृत रूप से अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति, रिक्ति की नोटिस प्राप्त करने के बावजूद अपना अतिक्रमण/अप्राधिकृत अधिभोग नहीं हटाता है तो वह बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत वार्षिक दर से नुकसानों का संदाय करने का दायी होगा।

(झ) यदि ऐसा व्यक्ति, जिस पर नुकसान अधिरोपित किये गये हों, संबंधित प्राधिकरी के समक्ष जमा करने में विफल रहता है तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकायों की भांति की जायेगी।

मुतवल्ली को हटाये जाने संबंधी प्रकिया

55– (1) मुतवल्ली के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने पर, बोर्ड मुतवल्ली के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में जांच आयोजित किये जाने का निदेश दे सकता है। प्रपत्र 27

(2) बोर्ड नियम 47 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से संक्षिप्त जाँच आयोजित करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन जाँच आयोजित किये जाने पर और अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड द्वारा मुतवल्ली के निलम्बन के आदेश पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्बन्धित मुतवल्ली को उससे यह अपेक्षा करते हुए कि वह यह स्पष्ट करे कि उसके विरूद्ध निलंबन का ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाये, प्रपत्र 28 में निलंबन की सूचना जारी करेगा।

(4) उपनियम 2 के अधीन जाँच आयोजित किये जाने पर बोर्ड, हटाये जाने/अधिक्रमण किये जाने के प्रस्तावित आधारों को उल्लिखित करते हुये एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जायेगी कि क्यों न हटाये जाने/अधिक्रमण किये जाने का ऐसा आदेश पारित किया जाय। पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त किये जाने पर मुतवल्ली को अपना उत्तर और ऐसे समस्त साक्ष्य, जिन पर वह नोटिस प्राप्त किये जाने के 15 दिन के भीतर उत्तर देना चाहे, प्रस्तुत करना होगा।

(5) संक्षिप्त जाँच की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर, बोर्ड मुतवल्ली को निलम्बित कर सकता है, यदि बोर्ड की यह राय हो कि मुतवल्ली कार्यालय में उसका बना रहना वक्फ के हित में नहीं है।

(6) स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर या जहाँ मुतवल्ली कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल हो वहाँ बोर्ड अन्तिम विनिश्चय करेगा।

बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन वक्फ़ से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट

56– अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य विवरण प्रपत्र 29 में होंगे।

वक्फ़ प्रबन्ध समितियों के अधिक्रमण का आदेश

57– (1) किसी वक्फ़ के पर्यवेक्षण या प्रबन्ध के लिए सौंपी गई किसी समिति का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होगा जब तक कि बोर्ड द्वारा समिति को अधिक्रमित न कर दिया गया हो या यह वक्फ़ विलेख या वक्फ़ प्रबन्ध की अनुमोदित योजना के उल्लंघन में न हो।

(2) बोर्ड निलम्बन का कोई आदेश जारी करने के पूर्व समिति, जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन निलम्बन की कार्रवाई अनुध्यात हो, को प्रपत्र 30 में एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि समिति से ऐसे समय, जो एक माह से कम न हो, के भीतर यह बताने की अपेक्षा की जायेगी कि उसके विरूद्ध क्यों न ऐसी कार्यवाई की जाये।

(3) अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा पारित निलम्बन आदेश, सम्बन्धित वक्फ बोर्ड, जिला वक्फ़ परामर्शदात्री समिति कार्यालय और राज्य वक्फ़ बोर्ड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा और सम्बन्धित मुतवल्ली को भी तामील कराया जायेगा।

(4) अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति, इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को निःशुल्क दी जायेगी और इसकी एक प्रति, उक्त क्षेत्र में प्रसार वाले उर्दू, हिन्दी, और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी और ऐसे प्रकाशन के पश्चात वक्फ से हितवद्ध सभी व्यक्तियों के लिये बाध्यकारी होगा।

(5) अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन प्रबन्ध समिति की सदस्यता से समिति के किसी सदस्य को हटाये जाने का आदेश जारी करने से पूर्व बोर्ड ऐसे सदस्य को यह बताने की अपेक्षा करते हुए प्रपत्र 31 में कारण बताने की एक नोटिस जारी करेगा कि समिति की सदस्यता से उसे क्यों न हटा दिया जाये।

वक्फ की प्रशासन योजना से संबंधित परामर्श

58–(1) जहाँ बोर्ड अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन वक्फ की प्रशासन योजना बनाने का विनिश्चय करता है, वहाँ वह संबंधित मुतवल्ली, प्रबन्ध समिति या आवेदक को प्रपत्र 32 में एक नोटिस जारी करेगा।

(2) प्रस्तावित योजना में निम्नलिखित ब्यौरा होंगे, अर्थात् :–

(क) वक्फ का नाम;

(ख) पता ;

(ग) क्या यह योजना मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति के अधीन है या बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन है;

(घ) योजना/प्रस्ताव का ब्यौरा;

(ङ) अंतर्ग्रस्त व्यय ;

(च) सृजित की जाने वाली आय।

(3) मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति या आवेदक के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचारण किया जायेगा जो ऐसे उपांतरों सहित जैसा वह उचित समझे, योजना को अनुमोदित करेगा और मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति या आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर संसूचित करेगा।

(4) बोर्ड द्वारा उपनियम (1) के अधीन बनायी गयी प्रत्येक योजना को उस क्षेत्र में परिचालित उर्दू/स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

अधिनियम की धारा 71 के अधीन जांच करने की रीति

59–(1) बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 71 के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने पर या स्वयं की प्रेरणा से जाँच करेगा।

(2) वक्फ के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की एक प्रति बोर्ड द्वारा वक्फ की प्रबन्ध समिति को प्रेषित की जायेगी और प्रत्येक आरोप पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा।

(3) वक्फ के प्रशासन से संबंधित जांच, नियम 47 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से की जायेगी।

अधिनियम की धारा 72 के अधीन वक्फ के मुतवल्ली द्वारा संदेय वार्षिक अंशदान

60–(1) प्रत्येक वक्फ़ का मुतवल्ली, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय पाँच हजार रूपये से कम न हो, ऐसी वार्षिक आय का सात प्रतिशत वार्षिक अंशदान के रूप में बोर्ड को वार्षिक रूप से भुगतान करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष जून के पन्द्रहवें दिनांक से पूर्व किसी वक्फ़ का मुतवल्ली वक्फ़ की शुद्ध वार्षिक आय और इसके द्वारा देय अंशदान की विवरणी प्रपत्र 33 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन विवरणी प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी का सत्यापन करेगा और यदि वह विवरणी की शुद्धता से संतुष्ट है तो वह ऐसी विवरणी के अनुसार वार्षिक अंशदान नियत कर सकता है और यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वप्रेरणा से मुतवल्ली द्वारा भुगतान किये जाने वाले वार्षिक अंशदान को नियत करेगा।

(4) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह मत हो कि उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी किसी विशेष बिन्दु पर अशुद्ध या असत्य हो या ऐसी विवरणी की विषयवस्तु से उक्त अधिनियम या बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों या बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो वह मुतवल्ली से नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि विवरणी के ऐसे निर्धारण को क्यों न पुनरीक्षित कर दिया जाये।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्बंधित मुतवल्ली से प्राप्त उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात अपने सर्वोत्तम निर्णय से वक्फ़ की शुद्ध वार्षिक आय का निर्धारण कर सकता है या मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत विवरणी में प्रदर्शित शुद्ध वार्षिक आय को पुनरीक्षित कर सकता है और इस प्रकार निर्धारित या पुनरीक्षित शुद्ध वार्षिक आय ही वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय होगी।

(6) इस नियम के अधीन मुतवल्ली द्वारा संदेय किसी अंशदान में बोर्ड की पूर्व मंजूरी के सिवाय छूट या कमी नहीं की जायेगी।

(7) बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई कमी या छूट केवल उसी वर्ष के लिए प्रभावी होगी जिसके लिए यह स्वीकृति की गई हो, परन्तु जहाँ अनुवर्ती वर्ष में इसकी निरंतरता जारी रखना आवश्यक समझी जाये वहाँ बोर्ड को नयी मंजूरी देनी होगी।

(8) किसी मुतवल्ली द्वारा आवेदन किये जाने पर बोर्ड, मुतवल्ली द्वारा संदत्त किये जाने वाले अंशदान में निम्नलिखित मामलों में छूट या कमी स्वीकृत कर सकता है, अर्थात् :–

(क) मुतवल्ली या वक्फ़ के अन्य कर्मचारियों की उपेक्षा न करने के कारण हुई वक्फ़ के धन या भण्डार सामग्री की हानि;

(ख) सूखा या अन्य अदृश्य कारणों यथा बाढ़ के कारण फसल में कमी होने से आय में हुई हानि;

(ग) पूर्व मुतवल्ली के कुप्रबन्ध के कारण कोष का अभाव;

(घ) ऋण, अग्रिम और उधार की वसूली न होने के कारण निधियों का अभाव;

(ङ) जहाँ वक्फ़ किसी अनाथालय की सहायता करता हो जिससे उसके संसाधन समुचित प्रबन्ध के लिए अपर्याप्त हों; और

(च) तीन चौथाई बहुमत से बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य कारण।

(9) अंशदान में कटौती करने या उसमें छूट स्वीकृत करने से पूर्व, बोर्ड प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का गहन अन्वेषण करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि ऐसी कमी या छूट आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 77 के अधीन धनराशि का वक्फ निधि में संदाय और ऐसी धनराशि का विनिधान

61–(1) बोर्ड अपने अधिकारियों में से किसी एक को (जिसे आगे ''प्राधिकृत अधिकारी'' कहा गया है) बोर्ड की ओर से वक्फ निधि में समस्त भुगतान प्राप्त करने, प्राप्तियां जारी करने और भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) (क) प्राधिकृत अधिकारी से ऐसी धनराशि, जैसा कि बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, बोर्ड को प्रतिभूतियों या प्रतिभू के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) प्रतिभूगण की ऋणशोधन क्षमता का सत्यापन उस क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से किया जायेगा, जहाँ उक्त पदधारी प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में रहता हो।

(3) प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा वक्फ निधि के नामे जमा सभी धनराशि के लिए रसीदें प्रदान करेगा और मुद्रित रसीद संख्या वाली प्रतिपर्ण रसीद इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित करेगा।

(4) ऐसी समस्त धनराशि को तत्काल –

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में, या

(ख) किसी डाकघर बचत बैंक खाता में जमा करायेगा।

(5) (क) समस्त जमा, शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड के नाम से किया जायेगा।

(ख) अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य या सम्बन्धित बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के अधिकारियों को ऐसी जमा या उसके किसी आंशिक भाग को प्रत्याहृत करने और बैंक खाता का, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा बोर्ड उचित समझे, संचालन करने का अधिकार होगा।

(6) बैंक से कोई धनराशि तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित बोर्ड के प्रयोजन के लिये तत्काल संदाय किया जाना अपेक्षित न हो।

(7) व्यय रसीद विनियोजन से बचा जायेगा।

(8) (क) वक्फ निधि से संदाय नगद या चेक द्वारा किया जायेगा

(ख) पांच सौ रूपये से कम की धनराशि के लिए चेक नहीं जारी किया जायेगा।

(9) निर्विवाद रूप से संदेय धनराशि को असंदत्त नहीं रखा जायेगा और संदत्त की गयी धनराशि को, जब तक पूर्णतया आवश्यक न हो, एक दिन से अधिक लेखा से पृथक नहीं रखा जायेगा।

(10) (क) कोई व्यक्ति, जो संबंधित बोर्ड के विरूद्ध दावा करता है, सम्यक रूप से सत्यापित और मुहर लगा बाउचर प्रस्तुत करेगा।

(ख) सभी बाउचरों को स्याही से भरा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(ग) धनराशि अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी लिखी जायेगी।

(घ) बाउचरों में सभी शुद्धियों और परिवर्तनों को बाउचर में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के दिनांक सहित आद्याक्षर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

(11) पांच हजार रूपये से अधिक की धनराशि की नकद या चेक द्वारा प्राप्ति पर, उस पर अपेक्षित मूल्य का रेवेन्यू स्टाम्प लगाया जायेगा

(12) वक्फ निधि की धनराशि के लेनदेन के लिये प्राधिकृत अधिकारी, उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और चोरी, धोखाधड़ी, आगजनी या किसी अन्य कारण से हुई किसी हानि के लिए भी शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड को प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगाः

परन्तु यह कि यदि ऐसी किसी जांच, जैसा कि शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाय, के पश्चात् किसी मामले में बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि उक्त हानि अपरिहार्य थी और उक्त धनराशि की समुचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी की किसी उपेक्षा के कारण नहीं हुई थी, तो बोर्ड संबंधित अधिकारी द्वारा हानि की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिये बल नहीं देगा वरन इसे बट्टे खाते में डाल सकता है।

(13) वर्ष के दौरान व्यय के लिये अनपेक्षित धनराशि बोर्ड द्वारा, निम्नलिखित मामलों

में विनिधानित की जायेगी :–

(क) निम्नलिखित एक या अन्य प्रतिभूतियों में,–

(एक) वचन पत्र, डिबेन्चर, स्टाक या केन्द्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियां;

(दो) कम्पनियों के स्टाक या डिबेन्चर या उनसे सम्बंधित शेयर जिसमें ब्याज की गारण्टी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा हो;

(तीन) किसी अधिनियम के प्राधिकार के अधीन किसी नगर निकाय द्वारा या उसकी ओर से जारी धनराशि के लिये डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियां; या

(ख) अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमाओं में,–

(एक) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथापरिभाषित कोई अनुसूचित बैंक; या

(दो) सरकार की पूर्व स्वीकृति से स्थावर सम्पत्ति का क्रय करने या उसका प्रथम बंधक रखने के लिए।

(14) सम्बन्धित बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना उपनियम (13) के अधीन विनिधान को गिरवी नहीं रखा जायेगा, नगद प्राप्त नहीं किया जायेगा या आहरित नहीं किया जायेगा।

(15) (क) सम्बन्धित बोर्ड ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसाकि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, अपने लेखाओं से सम्बंधित लेखा बहियों और अन्य बहियों को अनुरक्षित करायेगा।

(ख) लेखा बही, रजिस्टरों, रसीदों आदि में पृष्ठों को क्रमवार संख्यांकित किया जायेगा और प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित बोर्ड की मुहर लगायी जायेगी।

(ग) प्रत्येक बही या रजिस्टर में अंतर्विष्ट पृष्ठों की संख्या को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा वास्तविक सत्यापन किये जाने के पश्चात उसके प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया जायेगा।

(16) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित बोर्ड के प्रति देय अंशदान, फीस, किराया और अन्य धनराशि तत्परतापूर्वक मांगने, वसूल करने और वक्फ निधि के नामे डालने को सुनिश्चित करे।

(17) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्बन्धित बोर्ड के वित्त, बजट और लेखा से सम्बंधित कार्यों का प्रभारी होगा।

(18) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सम्बन्धित बोर्ड के बजट, लेखा और सम्परीक्षा के संबंध में :–

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि बोर्ड के बजट प्राक्कलन संबंधित बोर्ड और सरकार द्वारा इस निमित्त जारी अनुदेशों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित रूप में तैयार किये गये हैं और निश्चित समय के भीतर संबंधित बोर्ड को प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

(ख) मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्तावों की गहनता से संवीक्षा करेगा और बोर्ड को बजट प्रस्तावों की संवीक्षा में सहायता देगा;

(ग) ऐसे नये व्यय की समस्त योजनाओं का परीक्षण करेगा और तत्सम्बंध में परामर्श देगा जिनके लिये बजट में उपबंध किया जाना प्रस्तावित हो,

(घ) सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड का मासिक और वार्षिक लेखा समुचित रूप से और तत्परतापूर्वक संकलित किया जाता है;

(ङ) व्यय की प्रगति की आवश्यक आवधिक विवरणी प्राप्त करेगा, स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगा, और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसे निदेश, जिन्हें आवश्यक समझा जाय, जारी करेगा;

(च) अनुपूरक अनुदान के प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा और बोर्ड को उपयुक्त परामर्श देगा;

(छ) लेखा परीक्षा आपत्तियों और लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्टों और उनका शीघ्र निस्तारण किये जाने के लिए नियमित संपर्क में रहेगा;

(ज) बोर्ड के प्रति देयों की वसूली तथा ऋण और ब्याज के प्रतिसंदाय पर सूक्ष्म निगरानी रखेगा;

(झ) बोर्ड के लेखा के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा;

(ञ) अधिकारियों से भण्डार और स्टाक और उनके मूल्य की समय–समय पर विवरणी प्राप्त करेगा और उसकी समीक्षा करेगा और ऐसे लेखा पर अपनी अभ्युक्ति देगा तथा बोर्ड के समक्ष इसे रखेगा;

(ट) बोर्ड द्वारा बजट, लेखा और लेखा–परीक्षा से संबंधित मामलों पर मांगी गयी सूचना और आंकड़े प्रस्तुत करेगा;

(ठ) बोर्ड के लेखा की आन्तरिक लेखा–परीक्षा की समय समय पर व्यवस्था करेगा और ऐसी लेखा–परीक्षा के दौरान जानकारी में आयी किसी त्रुटि को दूर करने के तात्कालिक उपाय करेगा;

(ड) नियमावली और विनियमावली के प्रतिकूल किये गये भुगतान के समस्त प्रकरण, जिनमें ऐसे मामले भी होगें जिनमें बजट भुगतान में किसी व्यवस्था के बिना किया गया भुगतान भी हो, की रिपोर्ट बोर्ड को देगा।

(19) वित्तीय वर्ष के दौरान सम्बन्धित बोर्ड वर्ष के दौरान वास्तविक और संभावित व्यय को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित अनुमान तैयार कर सकता है।

शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड का बजट

62–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष प्रपत्र 34 में बजट तैयार करेगा जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय प्रदर्शित किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक सम्बन्धित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(2) सम्बन्धित बोर्ड बजट प्रस्ताव की संवीक्षा करेगा और समुचित उपांतरण, यदि आवश्यक हों, करेगा और 31 जनवरी के पूर्व सरकार को इसकी एक प्रति प्रेषित करेगा।

(3) अग्रसारित किया गया बजट प्राप्त किये जाने पर सरकार उसका परीक्षण करेगी और उसमें ऐसे परिवर्तन, संशोधन या उपांतरण किये जाने का सुझाव देगी जैसाकि वह उचित समझे और ऐसे सुझावों को सम्बन्धित बोर्ड को उसके विचार के लिए प्रेषित कर देगी।

(4) सरकार से सुझाव प्राप्त हो जाने पर यदि बोर्ड बजट में सरकार द्वारा किये गये किन्हीं उपांतरणों, शुद्धियों या परिवर्तनों से सहमत न हों तो सम्बन्धित बोर्ड सरकार द्वारा सुझावकृत परिवर्तनों, शुद्धियों या उपांतरणों के संबंध में सरकार को तत्काल लिखित प्रत्यावेदन दे सकता है।

(5) सरकार बोर्ड द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करेगी और तत्सम्बंध में अंतिम आदेश पारित करेगी तथा ऐसा प्रत्यावेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपने विनिश्चय से संसूचित करेगी।

(6) सरकार से सुझाव प्राप्त हो जाने पर और बोर्ड द्वारा ऐसे सुझावों पर यदि कोई प्रत्यावेदन नहीं किया जाता है या बोर्ड द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन, यदि कोई हो, के संबंध में सरकार ने अपने विनिश्चय से संसूचित कर दिया है तो बोर्ड सरकार द्वारा अंतिम रूप से सुझाये गये सभी परिवर्तनों, शुद्धियों और उपांतरणों को अपने बजट में सम्मिलित कर लेगा और इस प्रकार परिवर्तित, शुद्धकृत या उपांतरित बजट बोर्ड द्वारा पारित कर दिया जायेगा।

(7) इस प्रकार, पारित बजट की एक प्रति सरकार को अग्रसारित की जायेगी और यदि सरकार से पन्द्रह दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो बजट को अंतिम घोषित कर दिया जायेगा।

(8) यदि वर्ष के प्रक्रम में बोर्ड द्वारा कृत विभिन्न सेवाओं पर व्यय की जाने वाली धनराशियों की प्राप्तियों तथा उसका वितरण किये जाने से सम्बंधित बजट में प्रदर्शित अंको में परिवर्तन करना बोर्ड आवश्यक समझता है तो एक अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट बनाया जा सकता है और इस नियमावली में उपबंधित रीति से स्वीकृत कराया जा सकता है और तत्सम्बंधी प्रतियाँ सरकार को अग्रसारित की जा सकती है।

(9) बोर्ड द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी जब तक कि अधिनियम की धारा 78 के अधीन स्वीकृत बजट प्राक्कलन में ऐसी धनराशि सम्मिलित न हो और व्यय उपगत करने के समय प्रवृत्त न हो।

अधिकरण में आवेदन दाखिल करने की समय सीमा

63–(1) अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई पक्षकार अधिकरण में विनिश्चय के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकता है।

(2) वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबन्ध के अधीन बोर्ड द्वारा कृत किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश के 60 दिनों के भीतर वक्फ अधिकरण के पास पहुँच सकता है।

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें

64–(1) अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष और खण्ड (ख) के अधीन किसी सदस्य की नियुक्ति, यथाप्रयोज्य प्रतिनियुक्ति की सामान्य निबन्धनों के अध्यधीन होगी।

(2) कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन तब तक किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह मुस्लिम विधि एवं विधि शास्त्र का ज्ञान धारित नहीं कर लेता है:

परन्तु यह कि अभ्यर्थी को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

(3) अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी जिसे अग्रतर दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) उपनियम (3) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य की आयु 63 वर्ष से अनधिक होगी।

(6) इस प्रकार नियुक्त सदस्य प्रति बैठक रूपये 5000 प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसे राज्य सरकार के विनिश्चय से समय समय पर बढ़ाया जा सकता है।

(7) इस नियमावली के अधीन सदस्यों को विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमन्य होंगें जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य हैं।

(8) (क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे सरकार के निदेश पर अग्रतर दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य की अधिवर्षिता आयु उनकी सेवा नियमावली के अनुसार होगी।

अधिकरण के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा

65– अधिकरण में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। तथापि अधिकरण के रजिस्ट्रार के अनुरोध पर, राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों को संबंधित विभाग से स्थानान्तरण के आधार पर तैनात करेगी।

अधिकरण के समक्ष वाद /अपील के लिए आवेदन किया जायेगा

66– (1) नियम 63 के अधीन कोई आवेदन प्रपत्र 35 में किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष दाखिल आवेदन पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निवंधक को या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन दाखिल आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे जिन पर याची निर्भर हों।

(4) आवेदक अपने आवेदन के साथ उतनी संख्या में आवेदन व दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रतियां दाखिल करेगा जितनी संख्या में प्रत्यर्थी हों।

IndiaCode

(5) अधिकरण, स्वविवेक से, उपरिनिर्दिष्ट समस्त या किसी दस्तावेज के संलग्न न होने पर उपनियम (1) के अधीन सुनवाई के लिए आवेदन स्वीकार कर सकता है।

(6) इस नियम के अधीन दाखिल प्रत्येक आवेदन के साथ तथ्यों का स्पष्ट ब्यौरा सुस्पष्ट और पृथक शीर्षकों के साथ दिया जायेगा और तथ्यों का आधार तथा इसमें मांगे गये अनुतोष को क्रमवार संख्याकित किया जाएगा।

(7) अंतरिम अनुतोष आवेदन के साथ आवेदक को हुई किसी हानि, जिसे धन के रूप में प्रतिपूरित नहीं किया जा सकता है, को स्पष्ट रूप से संक्षेप में दिया जायेगा।

(8) बोर्ड के विरूद्ध वाद के संबंध में अधिकरण के समक्ष किसी आवेदन को, जो अधिनियम की धारा 89 के अधीन दो माह की नोटिस के आज्ञापक उपबंध का पालन न करता हो, को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जायेगा।

अधिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य प्रक्रिया

67–(1) निबंधक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर उसे प्रस्तुत किये जाने का दिनांक पृष्ठांकित करेगा और अधिकरण के समक्ष पेशी का दिनांक नियत करेगा और उसके प्रमाण स्वरूप पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) निबन्धक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रत्येक आवेदन को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा या संख्यांकित करेगा जिसे इसी प्रयोजन से रखा गया हो।

(3) अधिकरण ऐसे रजिस्टरों, जैसा कि सिविल न्यायालयों में प्रयोग के लिए विहित हों, को अनुरक्षित रखेगा जैसा कि आवश्यक हो।

(4) अधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल किये जाने से पूर्व आवेदन ज्ञापन की एक प्रति अन्य पक्षकार को तामील करायी जायेगी:

परन्तु यह कि अति आत्ययिकता के मामले में अधिकरण आवेदन किये जाने पर यदि ऐसा करना समीचीन समझे तो अन्य पक्षकार को आवेदन की प्रति तामील कराने से छूट दे सकता है।

(5) प्रत्येक आवेदन, वाद पत्र या अपील ज्ञापन या निष्पादन आवेदन या अन्य आवेदन के साथ समय–समय पर यथासंशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870(अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) की अनुसूची एक एवं दो में यथाविहित न्यायालय फीस संलग्न की जायेगी।

(6) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन सम्बंधी लिखित कथन प्रत्यर्थी से आवेदन दाखिल किये जाने के दिनांक से साठ दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात ग्रहण नहीं किया जा सकता है:

परन्तु यह कि यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि प्रत्यर्थी को उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल किये जाने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था, तो वह अग्रतर तीस दिनों की अवधि के लिए लिखित कथन को स्वीकार कर सकता है परन्तु इसके पश्चात नहीं।

(7) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत लिखित कथन का उत्तर, लिखित कथन दाखिल किये जाने के दिनांक से साठ दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जा सकता है:

परन्तु यह कि यदि अधिकरण का समाधान हो जाता है कि आवेदक को साठ दिनों की उक्त अवधि में उत्तर दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था तो वह अग्रतर तीस दिनों की अवधि के भीतर उत्तर स्वीकार कर सकता है, किन्तु तत्पश्चात स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(8) आवेदक और प्रत्यर्थी दोनों द्वारा किसी आधार पर स्थगन के लिए केवल तीन ही आवेदन करने की अनुमति दी जायेगी और इसके पश्चात नहीं।

प्रत्यर्थी को नोटिस प्रेषित किये बिना आवेदन को खारिज करने की शक्ति

68–अधिकरण, आवेदन के सभी बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुनने के बाद, प्रत्यर्थी को नोटिस प्रेषित किये बिना आवेदन को खारिज कर सकता है।

IndiaCode

नोटिस तामील किया जाना

69–(1) आवेदन में आवेदक/प्रत्यर्थी को प्रत्येक नोटिस रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अभिस्वीकृति के साथ प्रेषित करके तामील करायी जायेगी।

(2) जहां अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि नोटिस साधारण रूप में तामील नहीं करायी जा सकती है और उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि आवेदक/प्रत्यर्थी नोटिस तामील किये जाने से बचने के प्रयोजन से अपने को दूर रख रहे हैं, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के आदेश 5 के नियम 20 के उपबंधों के अनुसार अधिकरण, नोटिस की तामीली का वैकल्पिक आदेश करेगा।

आवेदन की सुनवाई का दिनांक, आदि

70–जब तक कि अधिकरण आवेदन खारिज न कर दे वह पक्षकारों को आवेदन की सुनवाई के दिनांक और स्थान आदि को अधिसूचित करेगा।

कार्यवाही आमजन के लिए खुली होगी

71–अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही आम जन के लिए खुली होगी :

परन्तु यह कि अधिकरण, यदि ठीक समझे, तो कार्यवाही के किसी स्तर पर आदेश कर सकता है कि सामान्य रूप से आम जन या विशेष रूप से कोई व्यक्ति अधिकरण के कक्ष में नहीं पहुंचेगा या लगातार कक्ष में नही बना रहेगा।

अधिकरण का आदेश

72–(1) अधिकरण के समक्ष दाखिल प्रत्येक आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) और साधारण नियमावली सिविल में वादों और अपीलों की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुना जायेगा और निस्तारित किया जायेगा।

(2) अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उस पर अधिकरण की मुहर के साथ हस्ताक्षर और दिनांक अंकित किया जायेगा।

IndiaCode

पक्षकारों को आदेश की प्रतियों की पूर्ति किया जाना

73–अधिकरण के खारिज करने या मंजूर करने के प्रत्येक आदेश को पक्षकारों को या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क संसूचित किया जायेगा।

कतिपय मामलों में आदेश और निदेश

74–अधिकरण, पूर्वगामी उपबन्धों के होते हुए भी, न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे आदेश या ऐसे निदेश दे सकता है जैसा कि आवश्यक हो या वह उसे प्राप्त करने हेतु समीचीन समझे।

अधिकरण की भाषा

75– अधिकरण की भाषा अंग्रेजी/हिन्दी होगी :

परन्तु यह कि यदि कार्यवाहियों से संबंधित पक्षकार, ऐसा चाहें, तो उर्दू या हिन्दीं में लिखे दस्तावेज/कार्यवाहियां अधिकरण के समक्ष दाखिल कर सकते हैं:

परन्तु यह और कि उर्दू/हिन्दी में ऐसे प्रत्येक दस्तावेज/कार्यवाही के साथ इसका शुद्ध अंग्रेजी अनुवाद संलग्न किया जाएगाः

परन्तु यह और कि अधिकरण, अपने विवेक से, कार्यवाही में स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है, परन्तु अन्तिम आदेश अंग्रेजी/हिन्दी में होगा।

अधिकरण की मुहर

76– अधिकरण की आधिकारिक मुहर ऐसी होगी जैसा कि सरकार विनिर्दिष्ट करे।

सिविल प्रकिया संहिता और सामान्य नियम (सिविल) का सामान्यतः अनुसरण किया जायेगा

77—अधिनियम या इस नियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न की गयी प्रक्रिया से सम्बंधित किसी प्रश्न पर विनिश्चय किये जाने में अधिकरण, यथासंभव, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) और सामान्य नियम (सिविल) में अन्तर्विष्ट उपबंधों से दिशा निर्देशित होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

78—(1) सरकार, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रपत्र 36 में सम्बंधित बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवायेगी।

(2) सम्बंधित बोर्ड, प्रत्येक वर्ष के जुलाई के अन्त तक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यकलापों का विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) सरकार, सितम्बर माह के अंत तक सम्बंधित बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगी और यह रिपोर्ट सदन या विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष उसके अनुवर्ती सत्र में रखी जायेगी।

शिया बोर्ड/सुन्नी बोर्ड द्वारा या उसके विरूद्ध वाद

79—(1) सम्बन्धित बोर्ड निम्नलिखित की स्वीकृति के लिए सक्षम होगाः—

(क) अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वाद, रिट, अपील या वक्फ़ के मामले/सम्पत्ति से सम्बन्धित मामले दाखिल किया जाना।

(ख) अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वक्फ़ के मामले/सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद, रिट, अपील या मामलों में प्रतिवाद किया जाना।

(2) सम्बन्धित बोर्ड, अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वक्फ़ के मामले/सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी वाद, रिट, अपील या किसी अन्य कार्यवाहियों को दाखिल करने या उनका प्रतिवाद करने के लिए विधिक प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

(3) सम्बंधित बोर्ड या सम्बंधित बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष वक्फ़ के मामले/सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों या कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी वाद, रिट, अपील तथा शपथपत्र और प्रतिउत्तर पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) सम्बन्धित बोर्ड, अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष सम्बंधित बोर्ड की ओर से साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए सम्बंधित बोर्ड के किसी कर्मचारी को प्राधिकृत करने के लिए सक्षम होगा।

आज्ञा से,
मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग।

प्रारुप– 1

नियम 4 देखें,

सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट

1–राज्य में औकाफ की संख्या, शिया औकाफ और सुन्नी औकाफ को अलग–अलग दिखाया गया है।

2–प्रत्येक वक्फ की प्रकृति एवं उद्देश्य।

3–प्रत्येक वक्फ संपत्ति की सकल आय।

4–प्रत्येक वक्फ के संबंध में देय भू–राजस्व, उपकर, दरें और कर की राशि।

5–प्रत्येक वक्फ की आय की प्राप्ति और मुतवल्ली के वेतन या अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो, में किए गए खर्च।

6–प्रत्येक वक्फ से संबंधित विवरण निम्नानुसार दिया जायः–

(क) वक्फ का नाम,

(ख) वकिफ का नाम, यदि कोई हो,

(ग) वक्फ के सृजण की तारीख या वर्ष,

(घ) वक्फ डीड का विवरण,

(च) मुतवल्ली का नाम और उसका वेतन या पारिश्रमिक, यदि कोई हो,

(छ) अचल संपत्ति का स्थान और प्रकृति जो उस गांव या कस्बे को दर्शाती है जहां नगरपालिका या सर्वेक्षण के साथ स्थित है संख्या, क्षेत्र, कार्यकाल का विवरण और उसका अनुमानित मूल्य।

(ज) चल संपत्ति और उसके मूल्य का विवरण, जिसमें निवेश भी शामिल है। विवरण

(झ) वक्फ संपत्ति की साइट योजना

(ट) उपर्युक्त खंड (छ) से (झ) में उल्लिखित संपत्तियों पर यदि कोई भार है,

(ठ) वक्फ के प्रशासन का तरीका, चाहे वह किसी अदालत द्वारा तय की गई योजना के तहत हो या किसी पंजीकृत दस्तावेज या स्थापित प्रथा या उपयोग द्वारा,

(ढ) क्या वक्फ पहले से ही बोर्ड की सामान्य निगरानी में है,

(ण) प्राप्त अनुदान की प्रकृति और मूल्य और,

(ड़) सर्वेक्षण की कुल लागत.

हस्ताक्षर

सर्वेक्षण आयुक्त

Indian Code

प्रारुप– 2

नियम 6 देखें,

औकाफ की सूची का विवरण

1–वक्फ सम्पत्ति के विवरण के साथ वक्फ का नाम (जैसे भूमि भवन, कब्रिस्तान आदि)।

2–वक्फ संपत्ति का स्थान, जिसमें खसरा नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और शहरी संपत्ति के मामले में मोहल्ला, वार्ड, सड़क और नगरपालिका।

3–वक्फ की प्रकृति और वस्तु ,

4–वक्फ संपत्तियों का विवरण, यदि अचल है,–

(क) क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र को अलग से दिखाया जाय,

(ख) सीमाएँ और

(ग) मूल्य.

5–चल संपत्ति का स्वरूप एवं मूल्य,

6–वक्फ के निर्माण की तिथि या वर्ष,

7–वक्फ डीड का विवरण।

8–सकल प्राप्तियाँ,

9–अनुदान प्राप्त।

10–प्रत्येक वक्फ में शामिल संपत्ति की सकल आय।

11–ऐसी संपत्ति के संबंध में देय भू–राजस्व, उपकर, दरें और कर की राशि।

12–आय की प्राप्ति में किया गया व्यय।

13–प्रशासन का विवरण–

(i) कस्टम/उपयोग द्वारा

(ii) न्यायालय द्वारा तय की गयी योजना के अनुसार

(iii) बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंधन की योजनाओं द्वारा।

14–मुतवल्ली का नाम व पता,

15–प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली का भुगतान या पारिश्रमिक, यदि कोई हो।

नोट–सुन्नी और शिया औकाफ के लिए अलग–अलग सूची तैयार की जाएगी।

IndiaCode

प्रारुप–3

नियम 13(2) देखें,

..... बोर्ड के सदस्यों के चुनाव हेतु सूचना

1–उस वर्ग का नाम जिसके लिए चुनाव होना है

2–नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे,

(i) समय

(ii) स्थान

(iii) किसको कार्यालय का पता सहित

3–नामांकन पत्रों की जांच,

(i) स्थान

(ii) दिनांक

(iii) समय

4–नामांकन वापस लेना,

(i) स्थान

(ii) दिनांक

(iii) समय

5–मतदान होगा

(i) स्थान

(ii) दिनांक

(iii) समय

6–निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतों की गिनती,

(i) स्थान

(ii) दिनांक

(iii) समय

7–परिणामों की घोषणा,

(i) स्थान

(ii) दिनांक

(iii) समय

स्थान (चुनाव प्राधिकारी)

दिनांक

IndiaCode

प्रारुप– 4

नियम 13(4) देखें,

..... वक्फ बोर्ड कार्यालय के सदस्यों की चुनाव की सूचना।

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि–

1–..... वक्फ बोर्ड. के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव होना है,

2–नामांकन पत्र के प्रपत्र उपरोक्त स्थान एवं समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

3–नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को या.....दिया जा सकता है प्रातः 10.30 बजे से सायं 5–00 बजे के बीचसे.....

4–नामांकन पत्रों की जांच दिनांक..... को समय.....से.....तक की जायेगी।

5–उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को या दिनांक..... को अपरान्ह 3.00 बजे से पहले दी जायेगी।

6–चुनाव लड़े जाने की स्थिति में मतदान दिनांक..... को समय..... बीच..... होगा। (वह स्थान निर्दिष्ट करें जहां मतदान कराया जाना है)।

स्थान

दिनांक

रिटर्निंग अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप– 5

नियम 15(1) देखें,

वक्फ बोर्ड के सदस्य पद के लिए चुनाव

धारा 14 के उपधारा (1) के खंड (ख) की श्रेणी

नामांकन–पत्र

मैं..... को उम्मीदवार के रूप में वक्फ बोर्ड के चुनाव के लिए धारा 14 की उपधारा (1) खंड की श्रेणी (ख) के अंतर्गत नामांकित करता हूं

1–उम्मीदवार का पूरा नाम

2–पिता या पति का नाम

3–मतदाता सूची में अभ्यर्थी की क्रमांक संख्या

4–उम्र

5–लिंग

6–व्यवसाय

7–पता

मेरा नाम है और यह निर्वाचन के.....(स्थान का नाम) पर दर्ज किया गया है

उपरोक्त श्रेणी के लिए रोल करें।

दिनांक

(प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर)

उम्मीदवार की घोषणा

मैंघोषणा करता हूं कि मैं चुनाव में खड़ा होने को इच्छुक हूं और मेरी उम्र ऊपर दर्शाई गई है सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि

1–मैं एक मुसलमान हूं.

2–मैं अनुन्मोचित दिवालिया नहीं हूं।

3–मुझे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है या ऐसी सजा दी गई है या मुझे ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा दे दी गई है।

4–मैं पहले कभी भी–

(i) सदस्य या मुतवल्ली के रूप में पद से हटा दिया गया या

(ii) कुप्रबंधन या भ्रष्टाचार में सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा ट्रस्ट के किसी भी पद से हटा दिया गया

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

<u>रिटर्निंग अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकनः</u>

यह नामांकन पत्र मुझे...(व्यक्ति) को (तारीख)..... बजे प्रस्तुत किया गया था। (दिनांक और समय)

रिटर्निंग अधिकारी या

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामांकन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय

मैंने नियम 16(1) के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है और निम्नानुसार निर्णय लिया.....

.....

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी

प्रारुप– 6

नियम 16(1) देखें,

नामांकन पत्र की रसीद एवं संवीक्षा हेतु सूचना

(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या.....

वक्फ बोर्ड की श्रेणी के सदस्य के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र मुझे(बजे) पर.....उम्मीदवार या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया था।

सभी नामांकन पत्रों की जांच (बजे) (तारीख) को (स्थान) पर की जाएगी।

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप– 7

नियम 17 देखें,

अधिनियम की धारा 14(1)(बी) की श्रेणी के अन्तर्गत **वक्फ बोर्ड के सदस्य पद के चुनाव के लिए** (तारीख) तक प्राप्त नामांकनों की सूची

क्र0 सं0	उम्मीदवार का नाम	पिता या पति का नाम	आयु	व्यवसाय और पता	निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्र0स0	लिंग
1	2	3	4	5	6	7

नामांकन पत्रों की जांच बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह को..... (तारीख) को (स्थान) पर की जाएगी।

स्थानः

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति

IndiaCode

प्रारुप–8

नियम 18 देखें,

राज्य वक्फ बोर्ड के चुनाव हेतु

अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञान की शपथ का प्रपत्र

मुझे, राज्य वक्फ बोर्ड में एक सीट भरने के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है, अल्लाह के नाम पर शपथ लेता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखूंगा।

दिनांक

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

शपथ की स्वीकृति

.....,उम्मीदवार ने(तारीख) को(समय) पर शपथ ली है।

रिटर्निंग अधिकारी

.....

शपथ का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है किने प्रतिज्ञान की शपथ पर हस्ताक्षर किए हैं और पढ़ा है मेरे सामने(तारीख)(समय) पर।

(हस्ताक्षर)

रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप– 9

नियम 19(5) देखें,

वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची

अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) की खण्ड (ख) की श्रेणी में..... वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		

स्थानः

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप– 10

नियम 20 देखें,

अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन वापस लेने के लिए

सूचना

अधिनियम की धारा 14(1)(ख).

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं.....उपरोक्त चुनाव में वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार हूँ मै सूचना देता हूँ कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ।

स्थानः

दिनांक

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में (दिनांक) (समय)पर..... (नाम से) के द्वारा दिया गया।

स्थानः

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन वापसी की सूचना की रसीद

(नोटिस पहुंचाने वाले व्यक्ति को सौंपा जाएगा)

अधिनियम की धारा 14(1)(ख) की श्रेणी के वक्फ बोर्ड कार्यालय के चुनाव में अभ्यर्थी के नाम वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में मुझे (दिनांक) को (समय) पर दिया गया।

स्थानः

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप– 11

नियम 21(1) देखें,

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) की खण्ड (ख) की श्रेणी में..... वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	निर्वाचक नामावली की क्र0सं0
(1)	(2)	(3)	(4)
1–			
2–			
3–			
4–			
5–			
आदि			

IndiaCode

स्थानः

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी

प्रारुप– 12

नियम 22(2) और 36 (1) (क) देखें,

चुनाव परिणाम की घोषणा

नियम..... वक्फ नियम, 2023.....के अनुसार, मैं घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित उम्मीदवार को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप–खंडकी श्रेणी में वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है।

	नाम	पता
1–		
2–		

स्थानः
दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्रारुप– 13
नियम 37 देखें,
चुनाव का प्रमाण पत्र

मैं, रिटर्निंग अधिकारी..... वक्फ बोर्ड के सदस्य/सदस्यों के लिए प्रमाणित और घोषित करता हूँ की एतद्द्वारा श्री/श्रीमतीपुत्र/पत्नी (नाम बोर्ड) वक्फ बोर्ड में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) की उपखंड की श्रेणी..... सदस्य के पद के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, और उसी के प्रतीक के रूप में मैंने उसे निर्वाचन का यह प्रमाण–पत्र प्रदान किया है।

स्थानः
दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी
सचिव (.....)
सरकार

IndiaCode

प्रारुप– 14

नियम 45(1) देखें,

बोर्ड के रिकार्ड के निरीक्षण हेतु आवेदन–पत्र

यहां आवेदन शुल्क की डुप्लीकेट रसीद चिपकाएं

सेवा में
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
..... वक्फ बोर्ड,
.....

आवेदक का नाम पुत्र/पत्नी श्री निवासी.....
.....

उस फाइल का विवरण जिसके रिकॉर्ड का निरीक्षण किया जाना है

किरायेदार का नाम (यदि कोई हो)

पार्टियों का नाम (यदि कोई हो)

निरीक्षण का उद्देश्य

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पर पारित आदेश

निरीक्षण का समयसे तकअर्थात्घंटे।

निरीक्षण शुल्क का भुगतान किया गया

उस अधिकारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर जिसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया.....

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

निरीक्षण के बाद बनाया गया

IndiaCode

प्रारुप– 15

नियम 45(3) देखें,

प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु आवेदन

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

.....वक्फ बोर्ड,

आवेदक का नाम पुत्र/पत्नी श्री निवासी.....

फाइल आदि का विवरण जिससे प्रतिलिपि की आवश्यकता है

संपत्ति का विवरण स्थान सहित

किरायेदार का नाम (यदि कोई हो)

पार्टियों का नाम (यदि कोई हो).....

मुकदमें का प्रकार

राजपत्र या रिकॉर्ड का नाम और विवरण जिसकी प्रतिलिपि आवश्यक है.....

जिस उद्देश्य के लिए प्रतिलिपि की आवश्यकता है, अर्थात चाहे वह निजी उपयोग के लिए आवश्यक हो या किसी अदालत में दाखिल करने के लिए इत्यादि.....

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि रजिस्टरों में आवेदक की संख्या.....

आवेदन के साथ प्राप्त प्रतिलिपि शुल्क

आदेश पारित.....

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

प्रतिलिपिकर्ता के हस्ताक्षर.....

प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर.....

IndiaCode

प्रारुप– 16
नियम 47(2) देखें,
नोटिस

जबकि यह ज्ञात/सूचित/रिपोर्ट किया गया है कि वक्फ का अस्तित्व समाप्त हो गया है या वह वस्तुए या भाग नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाए गए का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

अनुसूची

क्र0सं0	वक्फ/वक्फ सम्पत्ति नाम जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया है	चल सम्पत्ति का विवरण	अचल सम्पत्ति का विवरण					निधियों का उपयोग, यदि काई हो
			क्र0सं0	क्षेत्रफल	ग्राम/नगर	शहर	उपयोग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त वक्फ सम्पत्ति के संबंध में एक जांच की जाएगी, वक्फ अधिनियम की धारा 39(2) के अर्न्तगत उस वक्फ की संपत्ति और धन का पता लगाना और उक्त संपत्ति की वसूली के लिए आदेश दिया जाय।

इस संबंध में कोई भी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी को(दिनांक)..... (स्थान और समय) तक प्रस्तुत की जाएगी, जांच शुरू की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी

सेवा में

.....

.....

IndiaCode

प्रारुप– 17

नियम 48(1) देखें,

मुतवल्लियों और बोर्ड के प्रबंधन में औकाफ का अलग–अलग बजट

वर्ष 20.... – 20.... के लिए ।

अनुमानित प्राप्तियां	अनुमानित व्यय
संपत्तियों से किराये की प्राप्तियां,	
दान/अंशदान	कर्मचारियों का वेतन
संपत्ति व्यय का रख–रखाव	विविध रसीद,यदि कोई हो
	विविध व्यय विवरण सहित
प्राप्ति पर व्यय की अधिकता,	व्यय पर प्राप्ति की अधिकता
2. चालू वर्ष के लिए वास्तविक	
3. पिछले वर्ष के लिए वास्तविक प्रस्तावित	

दिनांक.....

स्थान.....

IndiaCode

प्रारुप– 18

नियम 49(1) देखें,

वक्फ का वार्षिक अनुमानित वर्ष 20..... 20..... के लिए

सार

वास्तविक 20.....20..... .	स्वीकृत अनुमान चालू वर्ष के लिए 20.....20....	संशोधित अनुमान चालू वर्ष के लिए		कुल बजट अनुमान वर्ष 20.... 20.....
		अपेक्षित 8 महीने	संभावित या अपेक्षित व्यय 04 माह का	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रारंभिक जमा

कुल..... ।

रसीदें (विवरण I)

कुल.....

व्यय (विवरण II)

कुल.....

जमा शेष

कुल.....

IndiaCode

विवरण 1 (रसीदें)

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक पछले वर्ष के लिए	वर्ष के लिए वास्तविक रिपोर्ट	सुनिश्चित वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट	बजट अनुमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1–प्रारंभिक शेष

2–बैंक में नकद

3–हाथ पर (नकद, चेक और डीडी)

4–किराये से आय रू0

(क) निवास

(ख) कार्यालय परिसर

(ग) दुकानें

(घ) स्कूल

(च) शादी महल

(छ) अन्य

कुल

5–सुरक्षा जमा

6–साख

7–हुंडी से आय

8–कृषि भूमि से आय

(क) कृषि फसलों की बिक्री

(ख) पेड़ों के फल की बिक्री (फसल से आय)

(ग) पेड़ों की बिक्री

(घ) वार्षिकी

(च) तस्डिक भत्ता

(छ) नकद अनुदान

कुल

IndiaCode

9– i. विविध प्राप्तियाँ रू0

(क) नजर/उपहार

(ख) सदस्यता शुल्क

(ग) मीलाद/रमजान दान

(घ) निकाह शुल्क

(च) खाल और त्वचा

(छ) गोलक संग्रह

कुल

9– ii. से प्राप्तियां

(क) सहायता अनुदान

(ख) ऋण वसूली

(ग) वेतन और त्योहार अग्रिम वसूली

(घ) बैंक से ब्याज

(च) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली से ऋण

(छ) सावधि जमा रसीदें

(ज) रॉयल्टी/ई0एम0डी0

कुल

10– कोई अन्य रसीदें

महायोग

IndiaCode

विवरण II (व्यय)

क्र0सं0	विवरण	वास्तविक पछले वर्ष के लिए	वर्ष के लिए वास्तविक रिपोर्ट	सुनिश्चित वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट	बजट अनुमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1– **सामान्य प्रशासन**

1–वेतन

2–टी0ए0

3–कार्यालय व्यय रू0

(i) फर्नीचर की खरीद

(ii) स्टेशनरी और फॉर्म की खरीद

(क) रसीदें छापना

(ख) लेखा पुस्तकों की छपाई/खरीद।

(iii) डाक शुल्क

(iv) टेलीफोन शुल्क

(v) जल शुल्क

(vi) विद्युत शुल्क

(vii) कार्यालय अग्रदाय राशि

(viii) बर्तनों की खरीद

(ix) मशीनरी और इलेक्ट्रिकल वस्तुओं की खरीद

(x) बैठक व्यय

कुल

4–कानूनी खर्च

5–लेखापरीक्षा व्यय

6–निगम/नगरपालिका/भूमि कर

7–वक्फ बोर्ड को योगदान

कुल

2–पूंजीगत व्यय

(i) निर्माण व्यय

(ii) ऋण अग्रिम का पुनर्भुगतान

(iii) सुरक्षा जमा

(iv) बिल्डिंग लाइसेंस/योजना शुल्क

(v) रॉयल्टी

(vi) ई0एम0डी0

(vii)

कुल

IndiaCode

3–धर्मार्थ व्यय

(i) छात्रवृत्ति / फ्रीशिप

(ii) चिकित्सा व्यय

(iii) विवाह व्यय

(iv)

कुल

4–त्योहार व्यय

(i) मीलाद

(ii) शब–ए–मेराज

(iii) शब–ए–कदर

(iv) शब–ए–बारात

(v) ईदगाह / मस्जिद / दरगाह खर्च

(vi) उर्स

(vii)

कुल

5–विविध व्यय

(i)

(ii)

कुल

महायोग

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप– 19

नियम 49(2)(क) देखें,

वक्फ की सूची

धारा 45. के अर्न्तगत.....तक प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत बजट तैयार किये जाने वाले वक्फों की सूची

क्र0सं0	वक्फ का नाम	प्रशासक का नाम	प्रत्यक्ष प्रबंधन आदेश क्रमांक दिनांक अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)

IndiaCode

दिनांकः

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
..... राज्य वक्फ बोर्ड

प्रारुप– 20

नियम 49(2)(ख) देखें,

प्रत्यक्ष प्रबंधन के अर्न्तगत अवकाफ का बजट प्रस्ताव तैयार किया जाना।

से,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

..... राज्य वक्फ बोर्ड,

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

विषयः प्रत्यक्ष प्रबंधन के अर्न्तगत वक्फ का बजट प्रस्ताव तैयार करना।

.....वक्फ धारा 45 के अनुसार आदेश संख्यादिनांक..... के अनुसार की अवधि के लिएराज्य वक्फ बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 45 के अनुसार उपरोक्त संस्था का बजट बोर्ड के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय को शामिल करते हुए निर्धारित प्रोफार्मा पर बजट तैयार कर प्रस्तुत करें। यदि कोई वृद्धि हुई हो तो उसका ब्यौरा भी दें, साथ ही यदि वक्फ की आय और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए कदम उठाए गये है का भी।

तैयार किया गया बजट 31 दिसंबर..... तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त करा दिया जाय।

दिनांकः

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी

.....राज्य वक्फ बोर्ड

IndiaCode

प्रारुप– 21

नियम 49(3) देखें,

प्रत्यक्ष प्रबंधन के अर्न्तगत अवकाफ की आय में वृद्धि का विवरण।

वक्फ का नामः जनपदः

क्र0सं0	आय के स्रोत का विवरण	गत वर्ष के आडिट का संक्षिप्त विवरण 19.....	प्रत्यक्ष प्रबंधन के अर्न्तगत लिये जाने का आदेश व दिनांक	प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन आने के बाद अचल संपत्ति में हुई वृद्धि का विवरण	आय में वृद्धि, यदि कोई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)

(2)

(विवरण से बजट की प्राप्तियों में अपनाया जाने वाला विवरण)

बेहतर प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम

1–

2–

3–

परिणाम

1–

2–

3–

प्रशासक के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्रारुप– 22

नियम 51(4) देखें,

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52 की उपधारा (1) के तहत धारा 51 या 56 के उपबंधों के उल्लंघन में हस्तांतरित अचल वक्फ संपत्ति की वसूली के लिए कलेक्टर को भेजी जाने वाला अधियाचन

1–वक्फ संपत्ति का विवरण

2–उपरोक्त संपत्ति के संबंध में निष्पादित हस्तांतरण विलेख, यदि कोई हो, का विवरण।

3–विलेख निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम और पूर्ण विवरण, यदि कोई हो।

4–जिस व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित की गई है उसका नाम और पूरा विवरण।

5–वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 37 के तहत बनाए गये औकाफ के रजिस्टर में वक्फ संपत्ति के विवरण की प्रविष्टियों से तुलना का परिणाम

6–वक्फ अधिनियम की धारा 51 के तहत आवश्यक स्थानांतरण या धारा 56 के उल्लंघन में स्थानांतरण उक्त के लिए मंजूरी के अभाव के संबंध में बोर्ड के रिकॉर्ड से जांच का परिणाम।

7–बोर्ड को संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने और सौंपने के लिए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध।

दिनांक.....

स्थान.....

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

..... वक्फ बोर्ड

IndiaCode

प्रारुप– 23

नियम 51(5) देखें,

वक्फ संपत्ति का कब्जा दिलाने हेतु कलेक्टर का आदेश

सेवा में,

श्री

.....

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 या धारा 56 का उल्लंघन करते हुए श्री..... द्वारा आपके पक्ष में नीचे दी गई अनुसूची में विस्तृत वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में वक्फ नियमों के नियम 61 के उप–नियम (2) के तहत वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से एक अधियाचन प्राप्त हुआ है।

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं,..... कलेक्टर, जनपद..... आपको निर्देश देता हूं कि इस आदेश की सेवा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर..... वक्फ बोर्ड या उक्त बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति को उक्त संपत्ति का कब्जा दे दिया जाए और ऐसा न करने पर आपके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यदि आप आदेश से असंतुष्ट हैं, तो आप इस आदेश की सेवा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ट्रिब्यूनल में अपील करना पसंद कर सकते हैं। यदि आप इस आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, और निर्दिष्ट समय के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा या ऐसे बल का उपयोग करके विधिवत रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकता है, और इसे उक्त बोर्ड को सौंप दिया जाएगा।

दिनांकः

कलेक्टर के हस्ताक्षर

मुहर

प्रारुप– 24

नियम 52(2) देखें,

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 की उपधारा (1) के तहत नोटिस का प्रपत्र

सेवा में,

श्री

.....

मैं,..... अधोहस्ताक्षरी, नीचे निर्दिष्ट आधारों पर राय रखता हूं कि आप नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित वक्फ संपत्ति के अतिक्रमणकारी हैं और आपको उक्त परिसर को खाली कर देना चाहिए:

आधार

.....

.....

इसलिए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं आपसे कारण बताने का आह्वान करता हूं कि..... ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए

अधिनियम की धारा 54 की उप–धारा (3) के अनुसरण में, मैं आपसे यह भी कहता हूं कि आप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से..... बजे.....उपस्थित हों, जो मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हों। यदि आप उक्त तिथि और समय पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आप उक्त वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाले हैं और कानून के अनुसार आपकी बेदखली के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूची

वक्फ संपत्ति का विवरण

हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक **मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

प्रतिलिपि मुतवल्ली

प्रारुप– 25

नियम 53(6) देखें,

वक्फ संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा खाली करने का आदेश

मैं अधोहस्ताक्षरी, नीचे दर्ज कारणों से संतुष्ट हूं कि श्री/श्रीमती/कु0..... वक्फ परिसर का अतिक्रमणकारी और अनधिकृत कब्जाधारी है जो नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट है–

कारणः

अनुसूचीः

वक्फ संपत्ति का विवरणः

अब, इसलिए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के तहत अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति श्री/श्रीमती/कु0..... को और वक्फ संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से पर अनधिकृत कब्जे वाले सभी व्यक्तियों को आदेश दिया जाता है। इस नोटिस की सेवा के 15 दिनों के भीतर उक्त परिसर को खाली करना होगा। ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आदेश का पालन करने से इनकार या विफलता की स्थिति में, मामले को उचित आदेश पारित करने के लिए ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा।

दिनांक

हस्ताक्षर एवं मोहर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप–26

नियम 53(10) देखें,

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 55 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आवेदन

सेवा में,
कार्यकारी मजिस्ट्रेट,
.....

वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 की उप–धारा (4) के तहत दिनांक.....को एक आदेश पारित किया है।(प्रति संलग्न)

श्री/श्रीमती/कु0..... आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर भूमि, भवन, स्थान या अन्य संपत्ति को खाली करने में विफल रहा है, जिससे आदेश संबंधित है

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 55 के तहत आपसे अनुरोध है कि अतिक्रमण करने वाले को अतिक्रमण हटाने, जैसा भी मामला हो, भूमि, भवन, स्थान या अन्य संपत्ति को खाली करने और उस पर कब्जा देने का निर्देश देते हुए एक आदेश बनाएं। श्री.....मुतवल्ली/प्रबंध समिति के सचिव/वक्फ बोर्ड। आदेश के अनुपालन में चूक करने पर पुलिस की सहायता से वक्फ परिसर से इस आवेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर अतिक्रमण को हटा दें या अतिक्रमणकारी को बेदखल कर दें। जबकि आपका ध्यान वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित) की धारा 7 की उपधारा (6) के परंतुक की ओर आकृष्ट किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर एवं मोहर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप– 27

नियम 55(1) देखें,

जॉच आयोजित करने हेतु सूचना

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64(3) के तहत(वक्फ संस्थान) के मुतवल्ली/सचिव को जांच करने के लिए नोटिस। आपको श्री.....S/o..... बोर्ड के आदेश सं0..... के तहत मुतवल्ली/सचिव (वक्फ संस्था) के रूप मेंवर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। जबकि, अब यह स्थापित हो गया है कि आपने वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, और धारा 64(1) के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है, या नीचे दिए गए एक से अधिक कारणों (टिक, जो भी उचित हो)

(i) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 61 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषी ठहराया गया है,

(ii) उसे आपराधिक विश्वासघात या नैतिक पतन से जुड़े किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, और इस तरह की सजा को उलट नहीं दिया गया है और उसे ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण माफी नहीं दी गई है, या

(iii) मुतवल्ली अस्वस्थ मन का है या किसी अन्य मानसिक या शारीरिक दोष या दुर्बलता से पीड़ित है जो उसे कार्यों को करने और मुतवल्ली के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अयोग्य बना देगा, या

(iv) अप्रकाशित दिवालिया है, या

(v) शराब पीने या अन्य उत्तेजक तैयारी का आदी साबित हुआ है, या किसी भी मादक दवाओं को लेने का आदी है, या

(vi) वक्फ की ओर से या उसके खिलाफ भुगतान किए गए कानूनी व्यवसायी के रूप में कार्यरत है, या

(vii) बिना उचित बहाने के, लगातार दो वर्षों तक नियमित खातों को बनाए रखने में विफल रहा है या लगातार दो वर्षों में, धारा 46 की उप–धारा (2) द्वारा आवश्यक खातों के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है, या

(viii) वह किसी वक्फ संपत्ति के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी पट्टे में, या वक्फ के साथ किए गए किसी अनुबंध में या उसके लिए किए जा रहे किसी भी कार्य में रुचि रखता है या ऐसे वक्फ को उसके द्वारा देय किसी राशि के संबंध में बकाया है, या

(ix) वक्फ के संबंध में या किसी धन या अन्य वक्फ संपत्ति के संबंध में लगातार अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है या कोई दुर्व्यवहार, दुवनियोजन, धन का दुरुपयोग, दुरुपयोग या विश्वास का उल्लंघन करता है, या

(x) इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियम या आदेश के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा किए गए कानूनी आदेशों की जानबूझकर और लगातार अवज्ञा की, या

(xi) वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से सौदा,

(xii) बोर्ड के समक्ष सूचना/लेखा परीक्षा रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार,

(1)

(2)

(3)

इसलिए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, नोटिस दिया जाता है कि राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा के नियम 66 के उप नियम (1) के तहत जांच की जाएगी।

इसलिए आपसे कहा जाता है कि इस नोटिस की सेवा की तारीख से सात दिनों के भीतर उक्त जांच के लिए अपने आवेदन, यदि कोई हों, को दाखिल करें। यदि आप अपनी आपत्तियां दर्ज करने में विफल रहते हैं, तो बोर्ड जांच के साथ आगे बढ़ेगा और कानून के तहत आवश्यक वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64 के तहत निर्णय लेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेवा में,

श्री.....

संबंधित को कॉपी करें।

प्रारुप– 28

नियम 55(3) देखें,

सूचना

(वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64(5) के तहत मुतवल्ली/प्रबंध समिति (वक्फ संस्था) के निलंबन की सूचना)

श्री.....पुत्र श्री..... मुतवल्ली/प्रबंध समिति (वक्फ संस्था) आपके खिलाफ धारा 64(1) के तहत कार्रवाई करने पर विचार किया जाता है।

..... राज्य वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64(3) के तहत जांच शुरू की है, और इसलिए आपके इस पद पर बने रहने से जांच की कार्यवाही बाधित हो सकती है। इसलिए, धारा 64(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य वक्फ बोर्ड ने आपको मुतवल्ली/ (वक्फ संस्थान) की प्रबंध समिति के सचिव के कार्यालय से निलंबित रखने का निर्णय लिया है।

इसलिए आपसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि आपको निलंबित रखने के आदेश क्यों न जारी किए जाएं। यदि आप स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो बोर्ड कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा और वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64(3) के तहत शुरू की गई जांच के समापन तक आपको उपरोक्त संस्था की प्रबंध समिति के मुतवल्ली/सचिव के कार्यालय से निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री.....

मुतवल्ली/सचिव

.....

.....

संबंधित को कॉपी करें

IndiaCode

प्रारुप– 29

नियम 56 देखें,

वक्फ अधिनियम की धारा 65 के तहत बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत वक्फ संस्थानों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट।

1–वक्फ संस्था का नाम.

2–धारा 37 के तहत संस्था के पंजीकरण का विवरण।

3–संस्थानों को प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत लेने का आदेश संख्या व दिनांक।

4–वक्फ संस्था के प्रशासक के रूप में नियुक्त अधिकारी/व्यक्ति का नाम।

5–गत वर्ष के लिए वक्फ की आय

6–वक्फ की आय में सुधार के लिए प्रशासक द्वारा उठाए गए कदम।

7–वह अवधि जिसके लिए वक्फ प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन है और वर्ष के दौरान वक्फ को मुतवल्ली/प्रबंध समिति को न सौंपने के क्या कारण हैं।

8–अचल संपत्ति और उससे होने वाली आय का विवरण।

9–संस्थान को प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत लेने के बाद अभिप्रेत परियोजना का विवरण।

10–संस्थान को प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन लेने के बाद किए गए संकल्पों की संख्या।

11–किराए/पट्टा राशि आदि के माध्यम से बकाया राशि की वसूली का विवरण।

12–भुगतान किए गए वक्फ योगदान का विवरण।

13–प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत जारी रखने के संबंध में राज्य सरकार को बोर्ड की सिफारिश।

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

..... राज्य वक्फ बोर्ड

IndiaCode

प्रारुप– 30
नियम 57(2) देखें,
कारण बताओ नोटिस

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 67 की उप–धारा 2 के तहत (वक्फ संस्था) के पर्यवेक्षण/प्रबंधन के लिए गठित समिति द्वारा अनदेखी करने के लिए कारण बताओ नोटिस। वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 67(1) के तहत अवधि..... के लिए समिति को गठित किया गया था। इस प्रकार गठित समिति निम्नलिखित कारणों से वक्फ के हित में निष्पादन/प्रबंधन नहीं कर रही हैः–

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(ऊपर दिखाए गए कारण इसके बारे में शिकायतें और लिखित आपत्तियां, निरीक्षण आदि के दौरान गलत प्रबंधन और दुरुपयोग का अवलोकन विशेष रूप से इंगित किया जाएगा)।

अब इसलिए प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राज्य वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 67 की उपधारा (2) के तहत आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि समिति के दमन का आदेश क्यों नहीं पारित किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर आपसे कोई जवाब नहीं मिलता है, तो बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा, 67 की उप–धारा (2) के तहत आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

IndiaCode

दिनांक

बोर्ड की आज्ञा से
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री.....

मुतवल्ली/सचिव

.....

.....

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समितिसंबंधित।

प्रारुप– 31

नियम 57(5) देखें,

कारण बताओ नोटिस

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 67 (6) के तहत किसी सदस्य को समिति से हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा)

जनाब..... पुत्र श्री..... (वक्फ संस्था)..... की प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 67(1) के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था। अब इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि जनाब..... उपर्युक्त समिति के सदस्य ने ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है या जानबूझकर निम्नलिखित कारणों से वक्फ के हितों के प्रतिकूल तरीके से कार्य किया हैः–

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(विषय वस्तु शिकायतों से ली जाएगी, प्रबंध समिति की बैठकों में सदस्य के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट, समिति के मुतवल्ली/सचिव की विधिवत सत्यापित रिपोर्ट विशेष रूप से इंगित की जाएगी)

इसलिए, शक्तियों के आधार पर राज्य वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 67 की उपधारा (6) के अंतर्गत जनाब..... यह कारण बताने के लिए कहा जाता है कि इस नोटिस की सेवा की तारीख से सात दिनों के भीतर उपरोक्त समिति की सदस्यता से आपको हटाने के लिए एक आदेश क्यों न पारित किया जाए। यदि कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 67(6) के तहत कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।

दिनांक

बोर्ड की आज्ञा से

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

जनाब.....

सदस्य, प्रबंध समिति

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समितिसंबंधित।

IndiaCode

प्रारुप– 32

नियम 58(1) देखें,

सूचना

(वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 69 की उप–धारा (1) के तहत मुतवल्ली/प्रबंध समिति या आवेदक को वक्फ के उचित प्रशासन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंधन की योजना को अपनाने के लिए नोटिस)

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 69 की उपधारा (1) के तहत, वक्फ के प्रबंधन के लिए एक मॉडल योजना निर्धारित की गई है और जबकि, उपरोक्त उपधारा में निर्धारित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, मुतवल्ली/ (वक्फ संस्था)..... की प्रबंध समिति के सचिव से यह अपेक्षित है कि वह (वक्फ संस्था)..... की मंशा–ए–वाकिफ के संदर्भ में प्रबंधन योजना का प्रस्ताव तैयार करे।

यह अधिसूचित किया जाता है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 69 की उपधारा (1) के तहत मुतवल्ली/आवेदक इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रबंध समिति/आम सभा के संकल्प के साथ उक्त योजना प्रस्तुत करेंगे।

दिनांक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री.....
मुतवल्ली/आवेदक
प्रबंध समिति
.....
.....

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समितिसंबंधित।

IndiaCode

प्रारुप– 33

नियम 60(2) देखें,

(वक्फ की निबल वार्षिक आय और प्रत्येक वर्ष 15 जून तक प्रस्तुत किए जाने वाले देय योगदान को दर्शाने वाला विवरण)

1–वक्फ का नाम

2–लेखा विवरण के अनुसार आकलित आय।

3–धारा 75 की उपधारा (1) के अनुसार आय से कटौती

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

4–वक्फ से प्राप्त निबल लाभ।

5–वक्फ बोर्ड को देय 7% वक्फ अंशदान।

6–

हस्ताक्षर मुतवल्ली/
प्रबंध समिति के सचिव

IndiaCode

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

.....राज्य वक्फ बोर्ड

या

प्राधिकृत अधिकारी

.....

.....

प्रतिलिपि अध्यक्ष, डी0डब्ल्यू0ए0सी

प्रारुप– 34

नियम 62(1) देखें,

(भाग–क)

वित्तीय वर्ष 20.....20..... के लिए आय और व्यय का बजट

अनुमान विवरण

आय **व्यय**

आय का शीर्षक	वास्तविक पिछले वर्ष के लिए	चालू वर्ष का बजट अनुमान	चालू वर्ष का संशोधित अनुमान	अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान	व्यय वर्ष का शीर्षक	चालू वर्ष से ठीक पहले के वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वर्ष के बजट अनुमान	चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट अनुमान	अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1–धारा 72 (1) के तहत औकाफ से योगदान					1–पिछले वर्ष का घाटा।				
2–अन्य आय					(क) बोर्ड या समितियों के अध्यक्ष या सदस्यों को शुल्क भत्ता				
(क) निवेश और अग्रिमों पर ब्याज।					(ख) (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतन				
(ख) दस्तावेजों और अन्य छोटी मदों की आपूर्ति के लिए शुल्क।					(ii) बोर्ड के कार्यालय में स्थापना का वेतन				
(ग) भूमि और भवन का किराया, भत्ते					(ग) (i) यात्रा भत्ता				
					(ii) अन्य				
(घ) नकद अनुदान और सुविधाए					(घ) (i) किराया,				
					(ii) डाक				
					(iii) स्टेशनरी				
					(iv) किताबें और पत्रिकाएं				
					(v) बिजली और प्रकाश शुल्क				
					(vi) टेलीफोन शुल्क				
					(vii) मुद्रण शुल्क				
					(viii) फर्नीचर				
					(ix) विविध				
(ङ) प्रतिभूतियों, स्टॉक, डिबेंचर या अन्य मूल्यवान प्रभारों की बिक्री					(ङ) (i) वकील का शुल्क				
					(ii) स्टाम्प शुल्क				
					(iii) न्यायालय शुल्क				

IndiaCode

(च) अचल संपत्तियों की बिक्री

(छ) अन्य प्राप्तियां

(च) (i) ऋण पर ब्याज

(ii) ऋण और अग्रिम

(छ) (i) अनुदान और छात्रवृत्ति

(ii) भूमि और भवन पर पूंजीगत व्यय

(iii) रखरखाव और मरम्मत

(iv) प्रतिभूतियों की खरीद

(ज) (i) वाहनों के लिए ईंधन

(ii) वाहनों के लिए रखरखाव

योगः

अगले वित्तीय वर्ष के अंत में घाटा/अधिशेष

(भाग–ख)

वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का बजट अनुमान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष के ठीक पहले वर्ष के लिए वास्तविकताएं	चालू वर्ष का बजट अनुमान	चालू वर्ष का संशोधित बजट अनुमान	अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान	भुगतान का शीर्षक	चालू वर्ष से ठीक पहले के वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वर्ष के बजट अनुमान	चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट अनुमान	अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

गत वर्ष का नकद शेष

(i) आय	(i) व्यय
(ii) ऋण	(ii) ऋण का भुगतान*
	वर्ष के अंत में नकद शेष राशि**

* व्यय पर आय के अधिशेष से या ऋणों के संतुलन आदि से जब कोई अधिशेष नहीं होता है।

** इसमें वेतन, यात्रा भत्ते और वकील की फीस शामिल हैं।

(भाग–ग)

चालू वर्ष के ठीक पहले वर्ष के लिए वास्तविकता	चालू वर्ष का बजट अनुमानं	चालू वर्ष का संशोधित बजट अनुमान	सम्पत्तियों का शीर्षक	अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान	देनदारियों का शीर्षक	अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान	चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान	चालू वर्ष के लिए बजट अनुमान	चालू वर्ष से ठीक पहले के वर्ष के लिए वास्तविकताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹

नकद शेष* **ऋण**

वर्ष के अंत में घाटा/अधिशेष

*वेतन के अग्रिम, यात्रा भत्ते और वकील की फीस शामिल है।

(भाग–घ)

वित्तीय वर्ष के दौरान आय और व्यय के बजट अनुमान

वास्तविक पिछले वर्ष के लिए	चालू वर्ष का बजट अनुमान	चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान	अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अगले वित्तीय वर्ष के अंत में घाटा/अधिशेष

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

IndiaCode

प्रारुप– 35

नियम 66(1) देखें,

ट्रिब्यूनल के समक्ष.....

के बीच (ए): नाम और पूर्ण पता..... आवेदक

V/S

बी0 सी0 और डी0..... प्रतिवादी

आवेदन का विवरण

1–उन आदेशों का विवरण जिनके विरुद्ध आवेदन किया गया है। आवेदन निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध किया गया है:

(i) आदेश संख्या

(ii) दिनांक

(iii) द्वारा पारित

(iv) विषय संक्षिप्त में

2–(i) मामले के तथ्य

(ii) राहत के समर्थन में संगत कानूनी प्रावधानों सहित राहत के आधार।

3–ऐसे मामले जो पहले ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय सहित किसी न्यायालय में दायर या लंबित न हों।

आवेदक आगे घोषणा करता है कि उसने पहले उस मामले के बारे में कोई आवेदन /रिट याचिका दायर नहीं की थी जिसके संबंध में यह आवेदन किया गया है। यदि आवेदक ने पहले कोई आवेदन/रिट याचिका दायर की थी, तो निर्णय की प्रति दी जानी चाहिए।

4–राहत/प्रार्थना

सत्यापन:

मै (आवेदन का नाम)..... S/o.....--W/o..... d/o..... उम्र..... व्यवसाय..... निवास..... द्वारा सत्यापित करते है की पैरा 1 से 4 में अंकित सूचना/सामग्री मेरे ज्ञान और जानकारी में सही है और मैंने किसी भी भौतिक तथ्यों को छिपाया या दबाया नहीं है।

(**नोट**: आवेदन पांच सौ रुपये के कोर्ट शुल्क के साथ होगा)

दिनांक.....

स्थान.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

India Code

प्रारुप– 36

नियम 78(1) देखें,

.....वक्फ बोर्ड के कामकाज और प्रशासन और औकाफ के प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट

सूचकांक

खण्ड 1 —————————— प्रशासन और प्रबंधन
खण्ड 2 —————————— वित्तीय स्थिति
खण्ड 3 —————————— लाभकारी उद्यम
खण्ड 4—————————— वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को हटाना, संरक्षण और पट्टे पर देना
खण्ड 5————————अधिकरणों और न्यायालयों में दायर/बचाव के लिए किए गए मामलों की संख्या के विवरण के साथ मुकदमेबाजी की स्थिति और परिणाम खंड
खण्ड 6 —————————— विकास कार्य
खण्ड 7 —————————— मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के रखरखाव सहित धार्मिक कार्य।
खण्ड 8—————————— चौरिटी
खण्ड 9———————————— शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों और केंद्रों का अनुदान
खण्ड 10———————————— कोई अन्य गतिविधि

खण्ड 1: प्रशासन और प्रबंधन

1–क्षेत्राधिकारः–

(i) मुसलमानों का क्षेत्र और जनसंख्या।
(ii) औकाफ की संख्या।
(iii) सर्किल और शाखाओं की संख्या, यदि कोई हो।
(iv) मुतवल्लियों की संख्या।
(v) वक्फ संस्थाओं की संख्या।
(vi) वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण की स्थिति।
(vii) वर्ष के दौरान पंजीकृत नए वक्फों की संख्या।

2–कार्मिक–

(i) बोर्ड के सदस्यों की संख्या और नाम
(ii) निर्वाचन द्वारा सदस्यों की संख्या और निर्वाचक नामावलियों के साथ उनके नाम।
(iii) नामांकन द्वारा सदस्यों की संख्या, उनके नाम और श्रेणी।
(iv) अध्यक्ष–नाम और निर्वाचन की तिथि।
(v) मुख्य कार्यकारी अधिकारी– नाम और अवधि जिसमें से कार्य करना
(vi) अन्य अधिकारियों के नाम (कार्यालय और क्षेत्र)

3–बैठकें और उपस्थिति–

(i) बोर्ड की साधारण और विशेष बैठकों की संख्या और स्थगित बैठकें।
(ii) बोर्ड की बैठकों के आयोजन में नियमितता और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति।
(iii) क्या बोर्ड की बैठकें नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित की जाती हैं। यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है।
(iv) वर्ष के दौरान सभा पटल पर रखे गए संकल्प की कार्यसूची और संकल्प–संख्या
(क) पटल पर रखे गए के संबंध में सूचना
(ख) पारित
(ग) चर्चा की गई और वापस ले ली गई
(घ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड को पुनः भेजा गया
(ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया...और
(च) छोड़ा गया

4–समितियां

(i) स्थायी समितियों की संख्या, सदस्यों के नामों सहित उनके कार्य।

(ii) प्रत्येक समिति के कार्य का सामान्य सारांश, स्थायी समितियों के संबंध में बोर्ड की औसत उपस्थिति और टिप्पणियां।

5–वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय या अन्य जगहों पर आयोजित अन्य बैठकों का सारांश।

6–बोर्ड की वार्षिक आम बैठक की तारीख और विवरण

खण्ड–2 वित्तीय स्थिति

1–वर्ष के दौरान लेखाओं का सारांश

खाता प्रमुख	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्तियॉ	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
औकाफ का खाता				

2–निवेश, ऋण और अनुदान पूंजीगत निवेश, ऋण और अनुदान का विवरण दिया जा सकता है।

3– लेखापरीक्षा–

(i) वह अवधि जिसके लिए धारा 80 के तहत लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई।

(ii) वक्फ संस्थाओं द्वारा धन के दुवनियोजन के मामले और..... वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अंतर्गत की गई कार्रवाई।

(iii) किसी वक्फ के वित्त में सुधार के मामले, चाहे वे प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन हों।

(iv) बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता मामले।

खण्ड–3 लाभकारी उद्यम

1–वक्फ संपत्तियों का विकास बोर्ड की निधि से या केंद्रीय वक्फ परिषद या किसी अन्य संस्था से ऋण के रूप में और उसकी उपलब्धियों और वक्फ के विकास द्वारा आय में वृद्धि।

2–बोर्ड द्वारा ली गई किसी अन्य वाणिज्यिक परियोजना का विवरण।

खण्ड 4 वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को हटाना, संरक्षण और पट्टे पर देना

1–क्या बोर्ड द्वारा अतिक्रमणों की सूची रखी जाती है और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए बोर्ड द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

2–अतिक्रमण हटाने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में प्रगति। वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण हटाने और जीर्णोद्धार के संबंध में कलेक्टर एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी को भेजे गए आदेशों एवं अधियाचन का क्रियान्वयन विस्तार से की गई कार्यवाही के साथ दिया जाए। आदेशों के प्रवर्तन में बोर्ड के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला जाएगा। अतिक्रमण हटाने की जानकारी निम्न तालिका में दी जानी चाहिए:–

क्र0स0	वक्फ का प्रकार	चिन्हित अतिक्रमणो की संख्या	हटाये गये अतिक्रमणो की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जहां कार्यवाही लंबित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3–वक्फ संपत्तियों को पट्टे पर देनारू पट्टे पर दी गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या। बोर्ड द्वारा पट्टे के लिए प्राप्त और निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या। प्राप्त पट्टा, दान आदि की राशि विवरण में दी जानी चाहिए।

खण्ड 5 वादों की स्थिति

1–विभिन्न न्यायालयों में लंबित आवेदनों, मुकदमों और रिट याचिकाओं का विवरण दिया जाए। परामर्श शुल्क के रूप में किया गया व्यय रिपोर्ट में दिया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं के पैनल की दक्षता की जांच उन मामलों की संख्या की जांच करके की जाएगी जिनमें बोर्ड के पक्ष में आदेश पारित किए गए हैं।

2– वर्ष के दौरान ट्रिब्यूनल में दायर और बचाव किए गए आवेदनों और अन्य अदालतों में दायर रिट और मुकदमों की संख्या। वर्ष के दौरान कानूनी मामलों में वकील शुल्क और अन्य व्यय पर व्यय दिया जाएगा।

3–अधिकरणों के संबंध में, प्रत्येक न्यायाधिकरण द्वारा दायर अपीलों और आवेदनों की संख्या की समीक्षा की जा सकती है। मामलों के निपटान में ट्रिब्यूनल द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा एकत्र किए गए शुल्क और वक्फ फंड में इसके प्रेषण की जांच की जाएगी।

खण्ड 6 विकास कार्य

1–वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों तथा विद्यालयों आदि में भवनों के निर्माण का विवरण उनके प्राक्कलन एवं व्यय सहित ।

2–पैरा (1) में उल्लिखित ऐसे सभी भवनों का रख–रखाव अनुमान और रखरखाव पर व्यय के साथ दिया जाएगा।

3–वर्ष के दौरान अनुमान और व्यय के साथ वक्फ संपत्ति (धार्मिक नहीं) जैसे चारदीवारी आदि का विकास और रखरखाव।

खण्ड 7 धार्मिक कार्य

1–प्राक्कलन और व्यय सहित मस्जिदों के निर्माण का विवरण।

2–मस्जिदों, दरगाहों आदि के रखरखाव व्यय का विवरण, बिजली बिलों की राशि के साथ।

3–उर्स और अन्य त्योहारों पर खर्च की जाने वाली राशि।

4–इमामों और मोअज्जिनों के वेतन का विवरण विभिन्न श्रेणियों में संख्या के साथ।

5–मस्जिदों को अनुदान का विवरण।

खण्ड 8 चैरिटी

1–विधवाओं और अनाथों की पेंशन की राशि और उनकी संख्या का जनपदवार विवरण।

2–विवरण सहित सेवानिवृत्त इमामों की पेंशन की राशि।

3–अन्य दान की राशि, जैसे गरीब लड़कियों और अन्य लोगों की शादी।

4–छात्रवृत्ति की राशि और कक्षाओं के साथ छात्रों की संख्या।

5–कोई अन्य व्यय।

खण्ड 9 शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों और केंद्रों को अनुदान

1–बोर्ड द्वारा सीधे प्रबंधित स्कूलों का नाम, शिक्षण स्टाफ की संख्या आदि के साथ व्यय का विवरण।

2–निजी संगठनों द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज आदि को आवर्ती अनुदान का विवरण शिक्षण संस्थानों के नाम के साथ।

3–मदरसों को आवर्ती अनुदान का विवरण उनके नाम और स्थान के साथ।

4–स्कूल, कॉलेज, मदरसे आदि को एकमुश्त अनुदान की जानकारी संस्था के नाम, उनके पते और अनुदान की राशि के साथ।

5–व्यावसायिक केंद्र को अनुदान का विवरण।

6–उर्दू के प्रचार के लिये की गयी गतिविधियों का विवरण उनपर खर्च के साथ।

खण्ड 10 कोई अन्य गतिविधि

1–विशिष्ट व्यक्तियों का दौरा और संबोधन।

2–बोर्ड के सुचारू प्रशासन में बोर्ड और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बीच संबंध।

3–वक्फ समितियों, वक्फ संस्थाओं का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं उक्त निरीक्षण का अनुपालन।

4–सरकार द्वारा गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा पर की गई कार्रवाई।

निष्कर्ष:

बोर्ड और वक्फ संस्थानों के सामान्य प्रशासन को प्रभावित करने वाला कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी **अध्यक्ष.....वक्फ बोर्ड**